अध्याय 3

लेन-देनों की लेखापरीक्षा

3.1 नियमन एवं नियमों का अनुपालन न किया जाना

3.2 औचित्य लेखापरीक्षा और बिना उचित समर्थन के व्ययों के प्रकरण

3.3 असावधानी/नियंत्रण की कमी

3.4 सतत् और व्यापक अनियमितताएँ

अध्याय 3

लेन-देनों की लेखापरीक्षा

शासन के विभागों एवं उनके संरचना घटक के साथ ही साथ स्वायत्त निकायों के लेन–देनों की लेखापरीक्षा में अनेक प्रकरण, जिनमें संसाधनों के प्रबन्धन में कमियाँ और आर्थिक एवं औचित्य के मापदण्डों के मानकों के पालन में विफलताएँ प्रकाश में आयें। इन समस्त प्रकरणों को उत्तरोत्तर प्रस्तरों में व्यापक उद्देश्यों के शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है ।

3.1 नियमन एवं नियमों का अनुपालन न किया जाना

उचित वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्ययों हेतु वित्तीय नियम, नियमन एवं आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये जायें। यह न केवल अनियमितता, दुर्विनियोग और धोखाधड़ी को रोकती है अपितु वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने में सहायक है। लेखापरीक्षा के कुछ निष्कर्ष जिनमें नियम, नियमन के अनुपालन में कमियाँ पायी गयी, नीचे दिये जा रहे हैं ।

उच्च शिक्षा विभाग

3.1.1 परिहार्य व्यय

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद अध्ययन बोर्ड का गठन न किये जाने के कारण विश्वविद्यालय अध्ययन सामग्रियाँ तैयार करने में विफल रहा जिससे उसके द्वारा वर्ष 1999–2008 के मध्य ₹ 95.80 लाख की धनराशि का परिहार्य व्यय किया गया एवं ₹ 2.31 करोड़ की धनराशि का अभुक्त दायित्व सृजित (नवम्बर 2012) हुआ।

विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना इलाहाबाद में वर्ष 1999 में राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित अधिनियम[1] के अन्तर्गत की गई थी। इस अधिनियम के अन्तर्गत[2] पाठ्यक्रम तैयार करने, पाठ्यक्रम लेखकों, समीक्षकों तथा विशेषज्ञों को चिन्हित करने तथा विद्यार्थियों को वितरित करने हेतु अध्ययन सामग्रियाँ तैयार करने के लिए अध्ययन बोर्ड का गठन किया जाना था।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के अभिलेखों की जाँच (दिसम्बर 2011) में यह पाया गया कि वर्ष 2003–13 (जनवरी 2013 तक) के मध्य नियमित पदों पर मुख्य पदाधिकारियों[3] की नियुक्ति के बावजूद भी अध्ययन बोर्ड का गठन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2004 से जनवरी 2013 तक प्रवक्ताओं व परामर्शदाताओं की नियुक्ति भी संविदा पर की गयी (जनवरी 2013 तक) थी। कार्यकारणी/शैक्षणिक समिति की बैठकों में भी अध्ययन बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की गयी थी। अध्ययन बोर्ड का गठन न होने के कारण विश्वविद्यालय की स्थापना (मई 1999) से अब तक विद्यार्थियों हेतु अध्ययन सामग्रियाँ तैयार नहीं की गई। अपने अध्ययन सामग्रियों के अभाव के कारण विश्वविद्यालय ने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के साथ विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु उसके मुद्रित

[1]उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1999
[2]अध्याय V प्रस्तर 5.47(2)(अ)
[3]पाँच निदेशक, दो उपनिदेशक, तीन सह प्राध्यापक व दस सहायक प्राध्यापक।

अध्ययन सामग्रियों के उपयोग हेतु शुरु में तीन वर्ष तक पुनरुत्पादन अधिकार प्राप्त करने के लिए अनुबन्ध किया एवं वर्ष 1999–2001 के मध्य ₹ 13.67 लाख[4] लाइसेन्स शुल्क का भुगतान किया। वर्ष 2001 तक भी अध्ययन सामग्रियाँ तैयार नहीं की गयी थीं जिसके फलस्वरूप पुनः इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से अनुबन्ध का नवीनीकरण (मई 2002 एवं अक्टूबर 2005) किया गया तथा वर्ष 2002–08 के मध्य ₹ 82.13 लाख[5] का भुगतान किया गया। अक्टूबर 2008 में अनुबन्ध की वैधता समाप्त होने के बाद भी अनुबन्ध का नवीनीकरण फरवरी 2013 तक नहीं किया गया था। किन्तु, विश्वविद्यालय द्वारा अनुबन्ध की वैधता अवधि समाप्ति (अक्टूबर 2008) के पश्चात् भी मुद्रित अध्ययन सामग्रियों का उपयोग किया जाता रहा। परिणामस्वरूप, अनुबन्ध की शर्ते भंग होने के साथ ही नवम्बर 2012 तक ₹ 2.31 करोड़ का दायित्व भी सृजित हुआ। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद अध्ययन बोर्ड का गठन करने व अध्ययन सामग्रियाँ तैयार करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1999–2008 के मध्य विश्वविद्यालय को ₹ 95.80 लाख[6] का व्यय करना पड़ा।

चर्चा (नवम्बर 2012) में शासन द्वारा यह स्वीकार किया गया कि अध्ययन बोर्ड का गठन नहीं किया गया था तथा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के अध्ययन सामग्रियों का उपयोग अनुबन्ध के नवीनीकरण के बिना किया जा रहा था। कई अनुस्मारक देने के बाद भी शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2013)।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

3.1.2 ब्याज भुगतान से हानि

मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा 110.496 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में दोषपूर्ण निर्णय के कारण हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड से प्राप्त ऋण को वापस किया गया तथा उस पर भुगतानित ब्याज से शासन को ₹ 6.91 करोड़ की हानि हुई।

मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण के अभिलेखों की जाँच (जून 2011) में यह पाया गया कि मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण ने हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड से फरवरी 2009 में ₹ 24.44 करोड़ का मथुरा जिले के अजीजपुर गाँव में भू–स्वामियों[7] की 110.496 हेक्टेयर भूमि पर आवास एवं पर्यटन विकसित करने हेतु ब्याजयुक्त ऋण[8] प्राप्त किया गया था। इस धनराशि को भू–स्वामियों के प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पास जमा भी किया गया। अभिलेखों की जाँच से यह भी संज्ञान में आया कि स्थल चयन समिति[9] ने मई 2005 में 103.596 हेक्टयर भूमि (अनुमानित) का सर्वेक्षण किया था एवं उक्त स्थल पर कोई धार्मिक स्थल, समाधि–क्षेत्र, श्मशान घाट इत्यादि न होने के कारण भूमि को निर्दिष्ट उद्देश्य हेतु उपयुक्त पाया गया था। फलस्वरुप, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण ने

[4]जिस पाठ्यक्रम में अध्ययन सामग्री का प्रयोग किया जाना है उस पाठ्यक्रम हेतु विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम शुल्क का पाँच प्रतिशत।
[5]पाठ्यक्रम में अध्ययन सामग्री का प्रयोग किया जाना है उस पाठ्यक्रम हेतु विद्यार्थियों से संग्रहीत पाठ्यक्रम शुल्क का दस प्रतिशत।
[6]जुलाई 1999 से जुलाई 2001: ₹ 13.66 लाख, 2002–2003 से 2006–07–₹ 82.13 लाख।
[7]उद्योगपतियों, विद्यालय को।
[8]ऋण 24 अंशों में प्रतिदेय था (₹1.31 करोड़ के 6 अंश तथा ₹ 92.14 लाख के 18 अंश)।
[9]सचिव, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण समिति के अध्यक्ष थे तथा अन्य सदस्य मुख्य अभियंता, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश जल निगम, भूमि अध्याप्ति अधिकारी इत्यादि।

अपनी 56वीं बैठक[10] (अक्टूबर 2005) में भूमि के अधिग्रहण का निर्णय लिया। शासन ने अगस्त 2007 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17(1) व 17(4) में उल्लिखित आकस्मिकता अनुच्छेद का उपयोग करते हुए धारा[11] 4 (अगस्त 2007) एवं धारा[12] 6 (अगस्त 2008) के अंतर्गत 110.496 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत करने हेतु अधिसूचना भी जारी की। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अनुच्छेद 17(1)[13] सपठित 17(4)[14] में उल्लिखित है कि आकस्मिकता की स्थिति में सम्बन्धित सरकार यह निर्देशित कर सकती है कि धारा 5(अ)[15] में उल्लिखित प्रावधान नहीं लागू होंगे और यदि ऐसा निर्देश दिया जाता है तो धारा 4 (1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने के बाद किसी भी समय धारा 6 के अंतर्गत इस आशय की घोषणा की जा सकती है।

उपरोक्त घोषणा से अंसतुष्ट होकर भू–स्वामियों ने, इस आधार पर कि उपरोक्त भूमि पर विद्यालय जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद सुविधा उपलब्ध है, एक कार्यशाला, समाधि इत्यादि स्थित है तथा ऐसी कोई भी आकस्मिकता की स्थिति नहीं थी कि भूमि धारा 17 (1) के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से अधिग्रहीत करने हेतु धारा 5(अ) में उल्लिखित प्रावधानों की अनदेखी की जाय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिकाएँ दाखिल[16] (2008–11) की। याचिकाकर्ताओं ने यह भी पक्ष रखा कि अधिसूचना में उल्लिखित सार्वजनिक उद्देश्य यथा–सुनियोजित आवास एवं पर्यटन सुविधा का विकास सार्वजनिक उद्देश्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता तथा उपरोक्त उद्देश्य ऐसे नहीं थे कि धारा 17(1) व 17(4) में उल्लिखित आकस्मिकता प्रावधानों का प्रयोग किया जाय। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए उपरोक्त अधिसूचना को निरस्त (अगस्त 2011) कर दिया। अतः मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा ऋण की धनराशि ₹ 24.44 करोड़ व ब्याज की धनराशि ₹ 6.91 करोड़ हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को (फरवरी 2009 से मार्च 2012 के मध्य) वापस किया गया जिसमें ब्याज का ₹ 1.09 करोड़ की धनराशि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद के सात माह मार्च 2012 तक की है, सम्मिलित थीं ।

इस प्रकार, न केवल स्थल सर्वेक्षण सही नहीं था बल्कि अधिनियम में आकस्मिकता के प्रावधानों का प्रयोग किए जाने का निर्णय भी दोषपूर्ण था जिसके कारण मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण को ₹ 24.44 करोड़ के ऋण पर ₹ 6.91 करोड़ का ब्याज वहन करना पडा। पुनः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के सात माह विलम्ब के उपरान्त हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को धनराशि वापस की गयी।

शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2012) किन्तु, चर्चा में (दिसम्बर 2012) शासन द्वारा यह बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में समस्त विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को सामान्य निर्देश जारी कर दिये जाएंगे।

[10]आयुक्त, आगरा मण्डल की अध्यक्षता में।

[11]भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4, सार्वजनिक उद्देश्यों हेतु भूमि की आवश्यकता व विभिन्न अधिकारियों को इस सम्बन्ध में प्रदत्त अधिकार की आरम्भिक अधिसूचना जारी करने से सम्बन्धित है।

[12]धारा 6 अभीष्ट अधिग्रहण की घोषणा से सम्बन्धित है।

[13] धारा 17(1) में प्राविधानित है कि आकस्मिकता के मामलों में जब भी सम्बन्धित सरकार निर्देशित करेगी, जिलाधिकारी, धारा 9 में प्रकाशित सूचना के 15 दिन के अंदर भूमि अधिग्रहीत कर सकेगा तथा अधिग्रहीत भूमि समस्त ऋणभार से मुक्त होगी।

[14]धारा 17(4) में प्राविधानित है कि जब भी धारा 17(1) अथवा 17(2) में प्राविधानित आकस्मिकता के प्राविधानों का प्रयोग किया गया हो तो सम्बन्धित सरकार यदि चाहे तो धारा 5(अ) के प्राविधानों का प्रयोग न करने का निर्देश दे सकती है।

[15]धारा 5अ(1) में प्राविधानित है सार्वजनिक उद्देश्य हेतु अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में भू–स्वामी धारा 4उप–धारा (1) में प्रकाशित अधिसूचना के 30 दिन के अंदर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

[16]फर्मों एवं व्यक्तियों द्वारा 10 याचिकायें दाखिल की गयी ।

सिंचाई विभाग

3.1.3 पुनरीक्षित परियोजना के स्वीकृत न होने के कारण अलाभकारी व्यय

चौधरी चरण सिंह अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के परिवर्तित स्थान मेरठ में निर्माण की पुनरीक्षित परियोजना व्यय–वित समिति द्वारा अनुमोदित न होने के कारण इसके निर्माण इत्यादि पर किया गया ₹ 11.10 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा ।

बाढ़ से सुरक्षा एवं कार्यरत अभियंताओं को बाढ़ सुरक्षा कार्य के प्रति जागरुक करने की दृष्टि से एक आदर्श अध्यापन के संचालन के लिए चौधरी चरण सिंह बाढ़ प्रबंधन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का फैजाबाद में निर्माण करने हेतु ₹ 11.10 करोड़ की एक परियोजना व्यय–वित्त समिति से अनुमोदित (दिसम्बर 2005) थी। परियोजना के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि मार्च 2010 थी। शासन द्वारा परियोजना का स्थान इन निर्देशों (नवम्बर 2006) के साथ मेरठ जनपद हेतु परिवर्तित (अगस्त 2006) कर दिया गया कि कार्य परियोजना, ड्राइंग एवं मेरठ जनपद हेतु लागू दर–अनुसूची पर आधारित प्राक्कलन की सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के पश्चात प्रारम्भ किया जाय तथा निर्धारित तकनीकी मानकों/दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जाये। यह भी निर्देशित किया गया कि निष्पादन से पूर्व व्यय–वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाये। मेरठ हेतु परियोजना की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता (गंगा) मेरठ द्वारा प्रदान की गई (सितम्बर 2006)।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खण्ड, मेरठ की लेखापरीक्षा (फरवरी 2011) में अभिलेखों की जाँच एवं तत्पश्चात सूचनाओं के संग्रहण (मार्च 2012) से यह संज्ञान में आया कि संस्थान के निर्माण हेतु अधीक्षण अभियंता–प्रथम, सिंचाई कार्य मण्डल मेरठ तथा उत्तर प्रदेश परियोजना निगम लिमिटेड, लखनऊ के मध्य संस्थान के निर्माण हेतु ₹ 8.86 करोड़ की लागत का एक समझौता ज्ञापन नवम्बर 2006 में हस्ताक्षरित किया गया था। कार्य का प्रारम्भ फैजाबाद के स्थान पर मेरठ में बिना व्यय–वित्त समिति के अनुमोदन के प्रारम्भ (मार्च 2007) किया गया। उत्तर प्रदेश परियोजना निगम लिमिटेड द्वारा मार्च 2010 में ₹ 8.86 करोड़ व्यय करने के पश्चात कार्य रोक दिया गया। अवशेष कार्यो को पूर्ण करने हेतु उत्तर प्रदेश परियोजना निगम लिमिटेड द्वारा ₹ 4.01 करोड़ की अतिरिक्त माँग की गई (अक्टूबर 2010)। इसके अतिरिक्त, मार्च 2010 तक खण्ड द्वारा ₹ 2.24 करोड़ का व्यय परिसर के विकास, चहारदीवारी एवं अन्य कार्यो पर भी किया गया था। पुनः स्वचालित मौसम केन्द्र एवं बाढ़ कार्यों के आदर्श अध्ययन हेतु इण्टेक चैनल के निर्माण के साथ कार्य का क्षेत्र भी परिवर्तित कर दिया गया एवं ₹ 22.57 करोड़ की एक पुनरीक्षित परियोजना शासन को जून 2009 में प्रस्तुत की गई जो परिवर्तित स्थान हेतु व्यय–वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण स्वीकृत नहीं की गई। पुनः ₹ 35.65 करोड़[17] की एक पुनरीक्षित परियोजना शासन को प्रस्तुत की गई (अक्टूबर 2011) जिसे भी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई और कार्य अपूर्ण पड़ा हुआ (जनवरी 2013) था। इस प्रकार बाढ़ कार्यों के लिये

[17](1)प्रशासनिक भवन, आडिटोरियम, प्रयोगशाला, फील्ड हास्टल, आवासीय भवनों इत्यादि के निर्माण हेतु मूल परियोजना की पुनरीक्षित लागत ₹ 18.19 करोड़।
(2)पक्का दौला, ओवर हैड टैंक, इण्टेक चैनल, चारदीवारी, नलकूप एवं स्वचालित मौसम केन्द्र इत्यादि अतिरिक्त कार्यों हेतु ₹ 10.52 करोड़।
(3)भूमि के समतलीकरण, वृक्षारोपण, भूमि विकास एवं विशेष यंत्र संयत्र के लिये प्रावधानित ₹ 6.94 करोड़।

समुचित सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु संस्थान की स्थापना का उद्देश्य इसके पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के दो वर्ष पश्चात भी अप्राप्त रहा।

लेखापरीक्षा (फरवरी 2011) में इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियंता ने यह बताया (फरवरी 2011) कि उत्तर प्रदेश परियोजना निगम लिमिटेड को अवशेष धनराशि उपलब्ध न कराने के कारण कार्य अपूर्ण था। उत्तर स्वीकार्य नही था क्योंकि कार्य को परिवर्तित स्थल पर बिना व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के ही प्रारम्भ किया गया था जिसके फलस्वरुप पुनरीक्षित परियोजना शासन द्वारा स्वीकृत नहीं की गई न कि अवशेष धनराशि के अदेय होने के कारण।

शासन द्वारा चर्चा (जनवरी 2013) के दौरान तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार करते हुए यह बताया गया कि संस्थान का निर्माण, पुनरीक्षित परियोजना की स्वीकृति एवं धनाबंटन के अभाव में पूर्ण नहीं हुआ।

3.1.4 अभिलेखों में कूट रचना द्वारा कपटपूर्ण भुगतान

वास्तविक ठेकेदार के बिलों पर दूसरे ठेकेदार के पक्ष में ₹ 3.61 लाख का भुगतान तथा पुनः वास्तविक ठेकेदार को बिना किसी वाउचर के ₹ 3.61 लाख के भुगतान के कारण कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–V भाग–1 के प्रस्तर 169 के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को शासकीय कार्यो हेतु लेन–देन के सम्बन्ध में व्यय करते समय उसी प्रकार सतर्कता बरतनी चाहिये जिस प्रकार वह स्वंय अपने निजी धन को व्यय करते समय बरतता है। यह सुनिश्चित करना आहरण एवं वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वाउचर नियमों के अनुसार तैयार किये गये है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–VI के प्रस्तरों 157, 447, 448, 450, 451 एवं 731 के द्वारा अभिलेखों–वाउचर, बिल, सम्पादित कार्य ज्ञापन एवं आपूर्तित सामग्री तथा माप पुस्तिका के साथ बिलों, वाउचरों को तैयार करना, माप का अभिलेखन तथा भुगतान की प्रमाणिकता को सुनिश्चित करने हेतु इन अभिलेखों में प्रति प्रविष्टि के बारे में वर्णन दिया गया है। देयक, माप पुस्तिका में की गई प्रविष्टियों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिये तथा भुगतान के पश्चात माप पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ जिन पर माप अंकित है, को लाल स्याही से तिर्यक रेखा से काट दिया जाना चाहिये तथा मापन के सारांश पर लाल स्याही से वाउचर की संख्या एवं दिनांक का सन्दर्भ सहित पृष्ठांकन अवश्य करना चाहिये। अभिलेख जिस पर भुगतान किया गया है पर, माप पुस्तिका संख्या एवं पृष्ठ संख्या, जिस पर माप का विवरण अंकित किया गया था, अवश्य अंकित किया जाना चाहिये।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड–II, महाराजगंज के अभिलेखों (अगस्त 2010) तथा तत्पश्चात् संग्रहित (मई 2011 तथा अप्रैल 2012) सूचनाओं की जाँच से यह संज्ञान में आया कि खण्ड के सहायक अभियंता–द्वितीय द्वारा वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में ₹ 3.97 लाख लागत के तीन अनुबंध[18] बी गैप बंध[19] से संबधित कार्यो हेतु मेसर्स नावेद इण्टरप्राइजेज के साथ गठित किये गये थे। अधिशासी अभियंता द्वारा उक्त अनुबंधो के सापेक्ष वाउचरों पर मेसर्स नावेद इण्टरप्राइजेज के नाम को काटकर एक अन्य फर्म मेसर्स प्रताप निर्माण संस्थान को ₹ 3.61 लाख[20] का भुगतान (मार्च 2010) बैंक ड्राफ्ट के

[18] 143/एई–II/08–09 ₹ 1,39,390 फरवरी 2009; 05/एई–II/09–10 ₹ 1,40,100 मई 2009 तथा 16/एई–II/09–10 ₹ 1,17,750 फरवरी 2009

[19] बी–गैप बंध, जनपद नवलपरासी, नेपाल में स्थित गण्डक बैराज का एक भाग है।

[20] 143/एई–II/08–09 ₹ 1,37,034, 05/एई II/09–10 ₹ 1,37,875 तथा 16/एई–II/09–10 ₹ 86,247

माध्यम से किया गया था। अधिशासी द्वारा पुनः उन्ही अनुबंधो के सापेक्ष मेसर्स नावेद इण्टरप्राइजेज को बिना किसी समर्थित वाउचर के ₹ 3.61 लाख का भुगतान (मई 2010) एक चेक[21] के माध्यम से किया गया तथा बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान प्राप्त किया गया (सितम्बर 2010)। इस प्रकार एक ठेकेदार के बिलों पर दूसरे ठेकेदार को ₹ 3.61 लाख का भुगतान और पुनः बिना किसी समर्थित वाउचर के वास्तविक ठेकेदार जिसको कार्य दिया गया था, को ₹ 3.61 लाख के भुगतान के कारण कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (अगस्त 2010) अधिशासी अभियंता द्वारा यह बताया गया (अप्रैल 2012) कि यह दोहरे भुगतान का एक प्रकरण है तथा अधिशासी अभियंता जिसने सितम्बर 2010 में चेक को पुनः नवीनीकृत किया वह कपटपूर्ण आहरण एवं भुगतान के लिये उत्तरदायी था। यह भी बताया गया कि तत्कालीन अधिशासी अभियंता के विरुद्ध ₹ 0.09 लाख की आयकर कटौती सहित ₹ 3.70 लाख का विविध अग्रिम निर्धारित किया गया था (मई 2010), परन्तु उक्त धनराशि की वसूली हेतु उच्च अधिकारियों के विशिष्ट आदेश उपलब्ध न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी (अप्रैल 2012)। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वित्तीय नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन कर भुगतान किया गया था जिसके कारण कपटपूर्ण भुगतान एवं शासकीय धन का दुर्विनियोग हुआ। इसके अतिरिक्त, दो वर्षों से अधिक की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् भी वाउचर में नाम परिवर्तित कर दूसरे ठेकेदार को भुगतान के लिये उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। वित्तीय अनियमितता के प्रकरण में उच्चाधिकारियों के वित्तीय प्रबंधन के अभाव का द्योतक था। प्रकरण की विस्तृत जाँचकर दोहरे आहरण एवं भुगतान के लिये उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी चाहिये।

शासन द्वारा चर्चा (जनवरी 2013) के दौरान तथ्यों एवं आँकडों को स्वीकार करते हुए यह बताया गया कि जाँच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

3.1.5 रायल्टी की वसूली न करने से शासन को हानि

ठेकेदारों के बिलों से रायल्टी की वसूली न करने के कारण शासन को ₹ 1.04 करोड़ की हानि हुई।

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम 3 एवं 21 के अनुसार शासन द्वारा समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया (अगस्त 2002) गया कि वह ठेकेदारों को भुगतान के पूर्व सुनिश्चित करे कि ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्तित स्टोन बैलास्ट, मोरम, मिट्टी और बालू के सापेक्ष रायल्टी का भुगतान भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग को किया गया था और उनके द्वारा इसके समर्थन में प्रपत्र एमएम–11 प्रस्तुत किया गया। जिन प्रकरणों में आपूर्ति बिना रायल्टी के भुगतान के की जाये वहां ठेकेदारो के बिलों से निर्धारित दर से रायल्टी की कटौती एवं उसके कोषागार में जमा करने हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी थे। शासनादेश (अगस्त 2002) के अनुसार, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जायेगा।

[21] संख्या 577063 दिनांक 05.05.2010

तीन सिंचाई खण्डों[22] के अभिलेखों की जाँच (जून–जुलाई 2011) में यह विदित हुआ कि अधीक्षण अभियंता उत्तर प्रदेश वाटर रिस्ट्रकचरिंग प्रोजेक्ट, लखनऊ द्वारा रजवाहों एवं अल्पिकाओं की पुर्नस्थापना हेतु, मिट्टी के कार्य के लिए दस अनुबंध[23] गठित किये गये थे। सम्बन्धित अधिशासी अभियंताओं द्वारा 17,31,896.42 घनमीटर **(परिशिष्ट 3.1)** लाई गयी मिट्टी के सापेक्ष ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओ के बिलों से ₹ छः प्रति घन मीटर[24] की दर से रायल्टी की वसूली किये बिना ₹ 17.42 करोड़ का भुगतान किया गया। इस प्रकार शासन को ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के बिलों से जून 2007 से अक्टूबर 2009 के मध्य रायल्टी की कटौती न करने के कारण ₹ 1.04 करोड़ की हानि हुई।

इसे इंगित (जून–जुलाई 2011) किये जाने पर अधिशासी अभियंताओं द्वारा यह बताया गया (जून–जुलाई 2011) कि रायल्टी की कटौती नहीं की गई क्योंकि अनुबंधों में रायल्टी की कटौती का प्रावधान नही था। उत्तर स्वीकार्य नही था क्योकि उपरोक्त वर्णित नियमों तथा शासनादेश के अनुपालन में अनुबंध गठित करते समय रायल्टी की कटौती का प्रावधान करना अधीक्षण अभियन्ता का उत्तरदायित्व था। अनुबंधो में रायल्टी की कटौती से संबंधित शर्तों को सम्मिलित न करने हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये।

शासन द्वारा चर्चा (जनवरी 2013) के दौरान तथ्यों एवं आँकडो को स्वीकार करते हुए यह बताया गया कि अगस्त 2002 के शासनादेश के उल्लंघन हेतु दोषियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।

3.1.6 मिट्टी की ढुलाई एवं संघनन में कपटपूर्ण भुगतान

मिट्टी की ढुलाई एवं संघनन हेतु प्रयुक्त दर्शाये गये ट्रैक्टर जो वास्तव में प्रयोग नही किये गये थे, के कारण ₹ 23.44 लाख का कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

वित्तीय नियमों[25] के अनुसार कोई भी बिल माप पुस्तिकाओं में अंकित मापन सम्बन्धी प्रविष्टियों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिये और जब भुगतान किया जाये तो माप के सारांश पर लाल स्याही से भुगतान वाउचर की संख्या एवं तिथि का पृष्ठांकन अवश्य किया जाना चाहिये। पुनः,वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–6 के प्रस्तर 430(डी) के अनुसार भुगतान उपलब्ध उच्चतम अधिकारी द्वारा या उसकी उपस्थिति में जो भुगतान प्रमाणित करे, करना चाहिये। पुनःश्च, मस्टर रोल की विशुद्धता के लिये सहायक अभियन्ता उत्तरदायी है।

चयनित आदिवासी बाहुल्य/पिछड़े जनपदों के लिये समेकित कार्य योजना के अन्तर्गत 11 बंधियों के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ₹ 4.91 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (जनवरी 2011)की गई। इन कार्यो की तकनीकी स्वीकृति

[22]शारदा सहायक खण्ड–36 जौनपुर, शारदा सहायक खण्ड–41 रायबरेली तथा सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर ।

[23]13/एसई/यूपीडब्ल्यूएसआरपी/07–08,23/एसई/यूपीडब्ल्यूएसआरपी/07–08,32/एसई/यूपीडब्ल्यूएसआरपी/07–08,33/एसई/यूपीडब्ल्यूएसआरपी/07–08 तथा 35/एसई/यूपीडब्ल्यूएसआरपी/07–08 शारदा सहायक खण्ड–36 जौनपुर हेतु,18/एसई/
यूपीडब्ल्यूएसआरपी/07–08,22/एसई/यूपीडब्ल्यूएसआरपी/07–08,26/एसई/यूपीडब्ल्यूएसआरपी/07–08 तथा 34/एसई /यूपीडब्ल्यूएसआरपी/07–08 शारदा सहायक खण्ड–41 रायबरेली हेतु तथा 7/एसई/ यूपीडब्ल्यूएसआरपी/07–08 सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर हेतु ।

[24]भूतत्व एवं खनिकर्म (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1957 के अन्तर्गत निर्गत 16.12.2004 से 01.06.2009 तक लागू गजट अधिसूचना के अनुसार।

[25]वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–6 के प्रस्तर 447 तथा 451

अधीक्षण अभियंता, सिचांई कार्य मण्डल, मिर्जापुर द्वारा अप्रैल एवं दिसम्बर 2010 के दौरान प्रदान की गई थी। कार्य हेतु जिला विकास अधिकारी, सोनभद्र द्वारा ₹ 2.45 करोड़ की प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) निर्गत (जनवरी 2011) की गई ।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, राबर्टसगंज के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2011) में यह पाया गया कि मजदूरो को मस्टर रोल द्वारा भुगतान करने के लिये सहायक अभियन्ताओं के पक्ष में ₹ 1.85 करोड़ का अस्थाई अग्रदाय लेखा खोला गया (फरवरी और मार्च 2011)। मजदूरों और ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी की ढुलाई एवं संघनन के लिये ₹ 1.85 करोड़[26] का भुगतान (मार्च 2011) किया गया । मस्टर रोल में ट्रैक्टर की पंजीकरण सख्या एवं चालक/मालिक का नाम अंकित था। मस्टर रोल में उल्लिखित ₹ 1.85 करोड़ की कुल धनराशि में से ₹ 98.37 लाख का भुगतान ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी की ढुलाई एवं संघनन हेतु किया गया था। ईकाई द्वारा लेखापरीक्षा में इस बात की पुष्टि की गई कि मिट्टी की ढुलाई एवं संघनन में प्रयोग किए गए वाहन ट्रैक्टर थे। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों राबर्टसगंज एवं मिर्जापुर के अभिलेखों से ट्रैक्टरों के प्रदर्शित पंजीकृत संख्या का सत्यापन करने पर यह पाया गया कि मस्टर रोलों में ट्रैक्टर के रूप में प्रदर्शित 106[27] वाहन, ट्रैक्टर के अतिरिक्त अन्य वाहन यथा मोटर साइकिल, ट्रक, कार इत्यादि थे **(परिशिष्ट 3.2)**। इन 106 वाहनों द्वारा किया गया मिट्टी की ढुलाई एवं संघनन के लिए ₹ 23.44 लाख का भुगतान दिखाया गया था। इन 106 वाहनों (ट्रैक्टर के अतिरिक्त) के प्रयोग द्वारा मिट्टी की ढुलाई और संघनन का कार्य संभव नही था और इस प्रकार अस्तित्वहीन ट्रैक्टर मालिकों/चालकों को मिट्टी की ढुलाई एवं संघनन हेतु किये गये ₹ 23.44 लाख के भुगतान के कपटपूर्ण हाने से इंकार नहीं किया जा सकता।

इसे इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियंता ने यह बताया (मार्च 2012) कि अधिकतर प्रकरणों में ट्रैक्टरों पर पंजीकरण संख्या नही थी एवं मस्टर रोल में अनपढ़ चालकों द्वारा बतायी गयी संख्या अंकित की गई थी। कथन के समर्थन में पंजीकरण प्रमाण–पत्र की छाया प्रति और ट्रैक्टर के चालकों द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र संलग्न किये गये। बिल/वाउचरों जिनके सापेक्ष भुगतान किया गया, में अंकित ट्रैक्टरों की पंजीकरण संख्या की प्रमाणिकता सत्यापित करना अधिकारियों/स्टाफ की जिम्मेदारी थी।

इस प्रकार अस्तित्वहीन ट्रैक्टरों के प्रयोग द्वारा ₹ 23.44 लाख का कपटपूर्ण भुगतान किया गया था।

शासन द्वारा चर्चा (जनवरी 2013) के दौरान तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार करते हुए यह बताया गया कि लेखा परीक्षा द्वारा उद्घटित उक्त प्रकरण पर जाँच समिति गठित कर दी गई थी (अक्टूबर 2012) तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

[26]मजदूरों को भुगतान : ₹ 0.87 करोड़ + ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी की ढुलाई एवं संघनन हेतु भुगतान : ₹ 0.98 करोड़ = ₹ 1.85 करोड़

[27]मोटर साइकिल–82, ट्रक–08, कार–05, जीप–05, बस–02, आटोरिक्शा–01 तथा अनिर्गत पंजीकृत संख्या–03

3.1.7 रिलांयस ईनर्जी जेनरेशन लिमिटेड को अनुचित लाभ प्रदान करने से शासकीय क्षति

रिलांयस ईनर्जी जेनरेशन लिमिटेड को अनुचित लाभ दिये जाने से शासन को ₹ 103.94 करोड़ की क्षति हुई। इसके अतिरिक्त, ऊपरी गंगा नहर के लाइनिंग कार्य पर अभी तक अदा न की गई ₹ 8.15 करोड़ की देनदारी भी सृजित की गई।

शासनादेश (फरवरी 2004) के प्रस्तर 1 के अनुसार ''विद्युत नीति 2003'' के अन्तर्गत शासन द्वारा उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने वाले निजी उद्यमियों को परियोजना के लिये कानून व्यवस्था बनाये रखना, सड़क, पुल एवं जल इत्यादि जैसी मूलभूत/बुनियादी सुविधायें प्रदान करना था। शासनादेश (फरवरी 2004) के प्रस्तर 3 (अ) के अनुसार जल की वांछित मात्रा निर्धारित स्थल तक पहुचाने हेतु आवश्यक निर्माण कार्यो की लागत सम्बन्धित फर्म द्वारा वहन की जानी थी।

अधिशासी अभियंता, बुलन्दशहर खण्ड, गंगा नहर बुलन्दशहर के अभिलेखों की जाँच (दिसम्बर 2011) में यह विदित हुआ कि विद्युत उत्पादन हेतु रिलांयस ईनर्जी जेनरेशन लिमिटेड ने गाजियाबाद के गाँव देहरा में 8,000 मेगावाट की एक विद्युत परियोजना[28] शासन को प्रस्तावित (सितम्बर 2004) की। शासन ने प्रस्ताव स्वीकार करते हुए (मार्च 2005) वांछित जल की आपूर्ति की स्वीकृति दी तथा जल की आपूर्ति के लिये नियमों और शर्तों को समाहित करते हुए रिलांयस ईनर्जी जेनरेशन लिमिटेड और सिंचाई विभाग के मध्य एक समझौता ज्ञापन अनुबन्ध गठित करने हेतु निर्देशित किया। ऊपरी गंगा नहर प्रणाली की नहरों से रिसाव को रोक कर बचाये गये जल को रिलांयस ईनर्जी जेनरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराने तथा नहरों की लाइनिंग हेतु ₹ 103.94 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान (नवम्बर 2005) की गई। तथापि रिलांयस ईनर्जी जेनरेशन लिमिटेड एवं सिंचाई विभाग के मध्य समझौता ज्ञापन अनुबन्ध गठित नही किया गया।

खण्ड द्वारा रिलांयस ईनर्जी जेनरेशन लिमिटेड के साथ बिना समझौता ज्ञापन अनुबंध गठित किये ही लाईनिंग कार्य वर्ष 2005–06 में प्रारम्भ किया गया। विद्युत परियोजना के अस्तित्व में न आने के कारण लक्षित 22,93,000 वर्ग मीटर के सापेक्ष 19,30,477 वर्ग मीटर कार्य के पूरा होने पर कार्य रोक (जुलाई 2007) दिया गया। इस समय तक ₹ 112.09 करोड़ के कार्य कराये जा चुके थे और ₹ 103.94 करोड़[29] का व्यय कर ₹ 8.15 करोड़[30] की देनदारी सृजित की जा चुकी थी। परियोजना की लागत पुनरीक्षित की गई और मुख्य अभियंता गंगा, मेरठ द्वारा ₹ 142.78 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई (अक्टूबर 2007)। विद्युत परियोजना अस्तित्व में न होने के कारण व्यय–वित्त समिति द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी प्राक्कलन को अनुमोदित नही किया गया (अप्रैल 2009)। शासन द्वारा किये गये व्यय और अदा न की गई देनदारी का सृजन, ''विद्युत नीति 2003'' के उल्लंघन में था जिसके कारण निजी उद्यमी को अनुचित लाभ मिला क्योंकि शासनादेश (फरवरी 2004) के प्रस्तर 3 (अ) के अनुसार उल्लिखित व्यय और देनदारी निजी उद्यमी द्वारा वहन की जानी थी न कि शासन द्वारा।

[28]4000 मेगावाट के दो चरणों में।
[29]बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर ₹ 77.05 करोड़ तथा अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर ₹ 26.89 करोड़
[30]बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहरः ₹ 0.29 करोड़ तथा अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर ₹ 7.86 करोड़

अधिशासी अभियंता द्वारा यह बताया (दिसम्बर 2011) गया कि शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 20 फरवरी 2004 के प्रस्तर 1 की शर्तो पर कार्य स्वीकृत किया गया था। उत्तर सही नही था क्योंकि प्रस्तर–1 निजी उद्यमियों को परियोजना हेतु बुनियादी सुविधायें प्रदान करने के बारे में है जबकि उक्त शासनादेश के प्रस्तर 3 (अ) के अनुसार विद्युत परियोजना लगाने वाले उद्यमी ही विद्युत उत्पादन हेतु जल की वांछित मात्रा निर्धारित स्थल तक उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्माण कार्य की लागत वहन करेंगे। इस प्रकार, शासन की विद्युत नीति का उल्लंघन कर ₹ 112.09 करोड़ की शासकीय धनराशि व्यय कर रिलायंस ईनर्जी जेनरेशन लिमिटेडको अनुचित लाभ पहुचाने के कारण शासन को ₹ 103.94 करोड़ की हानि के साथ साथ ₹ 8.15 करोड़ की देनदारी सृजित हुई।

शासन द्वारा चर्चा (जनवरी 2013) में तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार करते हुये बताया गया कि यद्यपि संचित जल का उपयोग प्रस्तावित विद्युत परियोजना हेतु अभी नही हो पाया है परन्तु नहरो में किये गये लाइनिंग कार्य का लाभ सिंचाई सुविधा में वृद्धि के रूप में जनता को मिल रहा है। उत्तर सत्य नहीं था क्योंकि इन क्षेत्रों के सिंचित क्षेत्र एवं राजस्व वसूली के आँकड़ों[31] में गिरावट आयी हैं।

3.1.8 वित्तीय नियमों का उल्लंघन

नकद साख सीमा जो ठेकेदारों के बिलों से आयकर, व्यापार कर, वैट, रायल्टी और स्टाम्प ड्यूटी के रुप में वसूली गई धनराशि को कोषागार में प्रेषण हेतु प्राधिकृत थी, का कार्यो, जिनके लिये बजटीय प्रावधान नहीं था, के भुगतान हेतु दुरुपयोग किया गया था जिसके कारण ₹ 1.22 करोड़ की अतिरिक्त देयता सृजित हुई।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल[32] एवं वित्तीय नियमों[33] के अनुसार कोई भी आबंटन केवल उन्हीं मदों हेतु विनियोजित किया जाना चाहिये जिसके लिये वह स्वीकृत किया गया है। शासनादेश (जून 1998)[34] के अनुसार भी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना नकद साख सीमा के माध्यम से आबंटित धनराशि का व्यावर्तन वित्तीय अनियमितता है और तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी। प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा पुनः किसी कार्य विशेष हेतु ठेकेदारों के बिलों से व्यापार कर, आयकर और रायल्टी के रुप में की गई कटौती को आहरण एवं वितरण अधिकारियों के नियंत्रण में उपलब्ध आबंटित साख सीमा (उस कार्य हेतु) से कोषागार में प्राधिकृत लेखाशीर्ष में तत्परता से जमा करने हेतु, प्रतिबंधित किया गया था (अगस्त 2004)।

अधिशासी अभियंता, सरयू नहर खण्ड–1 (एसएनके–1), बाँसी, सिद्वार्थ नगर, तथा अधिशासी अभियंता, बाढ़ कार्य खण्ड, बस्ती के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2011 तथा दिसम्बर 2011) तथा तत्पश्चात सूचनाओं के संग्रहण (मई 2012) में यह पाया गया कि ठेकेदारों के बिलो से आयकर, व्यापार कर, वैट, रायल्टी और स्टाम्प ड्यूटी के रुप में

[31]

	2008–09		2009–10		2010–11	
	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी
सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	37,855	41,556	36,559	40,407	36,073	39,527
प्राप्त राजस्व (₹)	75,41,160	80,14,393	70,35,558	78,20,964	68,34,010	73,90,904

[32]कमशः प्रस्तर 109 (सी) एवं अध्याय 15, प्रस्तर 174(8)

[33]विहपु खण्ड 6 का प्रस्तर 315

[34]संख्याः ए–2–311/दस–98–24121/98 दिनांक 29 जून 1998

कटौती कर कोषागार में जमा करने हेतु उपलब्ध ₹ 26.92 लाख[35] एवं ₹ 94.92 लाख[36] की नकद साख सीमा को उन कार्यो जिनके लिए कोई बजटीय आबंटन नहीं था, के भुगतान हेतु दुरुपयोग किया गया था। अधिशासी अभियंताओं द्वारा नकद साख सीमा का उपयोग कर आबंटन से अतिरिक्त व्यय किया गया था और जनवरी 2013 तक ₹ 1.22 करोड़[37] कोषागार में प्राधिकृत लेखाशीर्ष मे जमा नहीं किया गया था। इस प्रकार, ₹ 1.22 करोड़ की नकद साख सीमा का उपयोग अनियमित रूप से उन कार्यों का भुगतान करने में किया गया जिसके लिए बजट में प्रावधान नहीं था।

इसे इंगित करने पर (फरवरी 2012) अधिशासी अभियंता, बाढ़ कार्य खण्ड, बस्ती द्वारा यह बताया गया (फरवरी 2012) कि धनराशि का उपयोग बाढ़ के पूर्व कराये गये आवश्यक कार्यो हेतु किया गया था जबकि अधिशासी अभियंता, एसएनके–1, बाँसी, सिद्वार्थ नगर द्वारा यह बताया गया (मई 2012) कि धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो के भण्डार मदों के भुगतान हेतु किया गया था। अधिशासी अभियंताओं द्वारा यह भी बताया गया कि इस धनराशि को कोषागार में जमा करने हेतु बजट की मांग (जनवरी 2012) की गई थी। उत्तर वित्तीय नियमों के उल्लंघन को प्रमाणित करते हैं क्योकिं ठेकेदारों के बिलों से आयकर, व्यापार कर, वैट, रायल्टी और स्टाम्प ड्यूटी के रुप में काटी गई धनराशि का न केवल उन कार्यो, जिनके लिए बजटीय आबंटन नहीं था, के भुगतान हेतु दुरुपयोग किया गया था बल्कि ₹ 1.22 करोड़ की देयता का सृजन भी किया गया जिसके लिये शासन द्वारा जनवरी 2013 तक कोई बजट आबंटित नहीं किया गया था।

शासन द्वारा चर्चा (जनवरी 2013) के दौरान तथ्यों एवं आँकड़ो को स्वीकार करते हुए यह बताया गया कि इस सम्बन्ध मे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

3.1.9 वित्तीय नियमों का उल्लंघन

बिना बजट आबंटन के कार्य कराये जाने के कारण दो अन्य परियोजनाओं से ₹ 1.02 करोड़ का व्यावर्तन एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा के कारण ₹ 59.36 लाख के परिहार्य ब्याज का भुगतान।

वित्तीय नियमों[38] के अनुसार कोई भी कार्य तब तक प्रारम्भ नही किया जाना चाहिये जब तक की धनाबंटन न कर दिया जाये। पुनःश्च, वित्तीय नियमों[39] में यह भी प्रावधानित है कि किसी भी निर्विवाद रूप से संदेय धनराशि को अदत्त नही छोडना चाहिये। अपरिहार्य भुगतानों को लम्बित रखना मितव्ययिता नही है तथा निकटतम सम्भव तिथि को सभी वास्तविक देयताओं को चुकाना और भुगतान के अभिलेखन को सुनिश्चित करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

अधीक्षण अभियन्ता, गंडक सिंचाई कार्य मण्डल–2, गोरखपुर (अगस्त 2011) एवं अधिशासी अभियन्ता, बाढ खण्ड, कुशीनगर (मार्च 2012) के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि बोल्डरों की आपूर्ति एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु वर्ष 2000–09 के दौरान ₹ 2.73 करोड़ की लागत के 21 अनुबंध[40] और आठ कार्यादेश[41] एक ठेकेदार[42] के साथ

[35]आयकर ₹ 3.23 लाख + वैट ₹ 1.06 लाख + रायल्टी ₹ 21.98 लाख + स्टाम्प ड्यूटी ₹ 0.65 लाख = ₹ 26.92 लाख।
[36]आयकर ₹ 1.32 लाख + व्यापार कर ₹ 3.95 लाख + रायल्टी ₹ 88.40 लाख + स्टाम्प ड्यूटी ₹ 1.25 लाख = ₹ 94.92 लाख।
[37]₹ 27 लाख (सरयू नहर खण्ड–1, बॉसी, सिद्धार्थ नगर) + ₹ 95 लाख (बाढ़ कार्य खण्ड, बस्ती) = ₹ 1.22करोड़
[38]वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–6 का प्रस्तर 375 (अ)
[39]वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 का प्रस्तर 161
[40]18 अनुबंध : 2000–05 तथा 03 अनुबंध : 2008–09
[41]8 कार्यादेश: 2002–03
[42]श्री हरिमोहन राय।

अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता द्वारा गठित किये गये थे। ठेकेदार ने आपूर्तित एवं निष्पादित कार्य के सापेक्ष ₹ 1.08 करोड़ के देय भुगतान हेतु दिसम्बर 2005 में अनुरोध किया परन्तु खण्ड ने अनुरोध की ओर ध्यान नही दिया। ठेकेदार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका[43] दायर की (नवम्बर 2006)[44] जिस पर न्यायालय ने खण्ड को याचिकाकर्ता के आवेदन पर तीन माह में निर्णय लेने हेतु निर्देशित (नवम्बर 2006) किया। अधिशासी अभियंता द्वारा दिसम्बर 2006 से जून 2007 के मध्य ₹ 0.50 करोड़ का भुगतान किया गया और दिसम्बर 2007 तक देय ₹ 0.29 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि को सम्मिलित करते हुये ₹ 0.87 करोड़ की बची हुई देयता को स्वीकार करते हुए ठेकेदार के आवेदन का निस्तारण (जनवरी 2008) कर दिया गया। ठेकेदार द्वारा देयता के भुगतान हेतु पुनः माननीय उच्च न्यायालय मे याचिका[45] दायर (सितम्बर 2008) की गयी। न्यायालय ने ठेकेदार की देयताओ के साथ–साथ 7.5 प्रतिशत की दर से (भुगतान की वास्तविक तिथि तक) ब्याज का भुगतान करने का आदेश (अप्रैल 2010) दिया। विभाग द्वारा, फिर भी, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नही किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन न करने पर ठेकेदार द्वारा दायर अवमानना याचिका[46] (नवम्बर 2010) पर माननीय उच्च न्यायालय ने, प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग को नोटिस (जनवरी 2011) जारी किया। इसके पश्चात खण्ड द्वारा ठेकेदार की अद्यतन देयताओं का आंकलन किया गया जो ₹ 1.02 करोड़ आंकलित की गयी और वर्ष 2010–11 में पुर्नस्थापना एवं बाढ सुरक्षा कार्य की दो अन्य परियोजनओ[47] हेतु आबंटित धनराशि से ठेकेदार को संचित देय राशि पर ₹ 59.36 लाख के ब्याज सहित ₹ 1.61 करोड़ का भुगतान (फरवरी 2011) किया गया। इस प्रकार, शिथिल बजटीय नियंत्रण एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की घोर अवहेलना के फलस्वरुप वित्तीय नियमों और अनुबंधित दायित्व का उल्लंधन हुआ, जिसके कारण कार्य, जिसके लिये बजट आबंटन नही था, हेतु ₹ 59.36 लाख के परिहार्य ब्याज सहित ₹ 1.61 करोड़ का भुगतान करना पड़ा।

इसे इंगित किये जाने पर अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता द्वारा यह बताया गया (अगस्त 2011 तथा मार्च 2012) कि भुगतान माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार किया गया था। यह भी बताया गया कि पूर्व[48] में भी देयताओं के भुगतान हेतु मांग की गई थी परन्तु धनाबंटन न होने के कारण भुगतान नहीं किया गया था।

उत्तर वित्तीय नियमों की अवहेलना और अनुबंधीय दायित्वों का उल्लंधन कर देयताओं के सृजन को प्रमाणित करता है। इसके कारण न केवल ₹ 59.36 लाख के परिहार्य ब्याज का भुगतान करना पड़ा बल्कि दो अन्य परियोजनाओं पर ₹ 1.61 करोड़ तक की देयता भी सृजित हुई क्योंकि भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नही की गई थी।

शासन द्वारा चर्चा (जनवरी 2013) के दौरान तथ्यों एवं आँकडों को स्वीकार करते हुये यह बताया गया कि इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारण कर कार्यवाही की जायेगी।

[43]संख्या 60929/2006 दिनांक 06.11.2006
[44]माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 08.11.2006
[45]संख्या 49599/2008 दिनांक 18.09.2008
[46]संख्या 5377/2010 दिनांक 19.11.2010
[47]छितौनी बांध की पुर्नस्थापना किमी 0.00 से 2.400 तथा किमी 2.400 से 3.750
[48]दिनांक 30.07.2010 तथा 10.08.2010

लोक निर्माण विभाग

3.1.10 शासकीय क्षति

जनपद उन्नाव में संडीला–रसूलाबाद–चकलवंशी मार्ग के दो लगातार भागों पर कार्य की स्वीकृति से पूर्व निविदा आमंत्रण कर अविवेकपूर्ण अनुबंध करने के कारण ₹ 0.95 करोड़ की क्षति हुई।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–6 के प्रस्तर 316(1), 317, 318 एवं 356 के अनुसार प्रत्येक कार्य के निष्पादन हेतु सर्वप्रथम प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अग्रेतर, शासन ने आदेशित किया (मई 1999) कि निविदा का आमंत्रण सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य की बिल ऑफ क्वान्टिटी तैयार किये जाने एवं अनुमोदन के बाद ही किया जाना चाहिए।

अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड–प्रथम, उन्नाव के अभिलेखों की जाँच (अक्टूबर 2009) तथा अग्रेत्तर एकत्रित सूचना (जनवरी 2013) से हमने यह पाया कि जनपद उन्नाव में संडीला–रसूलाबाद–चकलवंशी मार्ग के किमी 31 से 46 एवं किमी 47 से 59 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए निविदाओं का आमंत्रण क्रमशः 01 और 24 मार्च 2008 को किया गया था। शासन ने उक्त कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय स्वीकृति[49] क्रमशः 27 एवं 13 जून 2008 को प्रदान की। मुख्य अभियंता ने बिल ऑफ क्वान्टिटी सहित आगणनों[50] को 28 जून 2008 को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की। अग्रेतर, हमने यह पाया कि दोनों कार्यों के लिए एकल निविदायें एक ही ठेकेदार से प्राप्त हुईं तथा किमी 47 से 59 के लिए बिल ऑफ क्वान्टिटी के दरों से 05 प्रतिशत अधिक (₹ 14.88 करोड़) तथा किमी 31 से 46 के लिए बिल ऑफ क्वान्टिटी की दरों से 10.68 प्रतिशत अधिक (₹ 18.92 करोड़) प्राप्त की गयी थीं। दो अनुबंध, कार्य आरम्भ (जुलाई 2008) एवं कार्य पूर्ण (जुलाई 2010) की एक निर्धारित तिथि के साथ बिल ऑफ क्वान्टिटी की दरों से क्रमशः 05 प्रतिशत (₹ 15.63 करोड़) तथा वार्तोपरान्त 10.01 प्रतिशत (₹ 20.82 करोड़) अधिक पर गठित किये गये थे। अग्रेतर, हमने यह पाया कि निविदा आमंत्रण की सूचना प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा बिल ऑफ क्वान्टिटी के अन्तिमीकरण किये जाने के तीन माह पहले ही निर्गत की गयी थी। लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2009) के समय पाया गया कि एक ही ठेकेदार के साथ, उसी मार्ग के लिए समान विशिष्टियों सहित समान प्रकृति के कार्यों के लिए विभिन्न दरों को अंगीकृत कर अनुबंधों को गठित किया गया था। दोनों कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि के अंदर ही पूर्ण कर लिए गए थे तथा ₹ 22.04 करोड़[51] (जून 2010) एवं ₹ 16.48 करोड़[52] (दिसम्बर 2009) का भुगतान ठेकेदार को किया गया था।

इस प्रकार, विभाग को समान विशिष्टियों के साथ समान प्रकृति के कार्य को एक ही ठेकेदार के साथ अधिक दर (5.01 प्रतिशत) पर (मार्ग के किमी 31–46 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अनुबन्ध संख्या 18/एसई–उन्नाव वृत्त/2008–09 कार्य की दरों को किमी 47–59 के अनुबन्ध संख्या 16/एसई–उन्नाव वृत्त/2008–09 के कार्य की दरों से तुलना करने पर) स्वीकार करने के कारण एक ही ठेकेदार को भुगतान से ₹ 0.95[53] करोड़ का अधिक व्यय परिणामित हुआ।

[49]किमी 31–46: ₹ 19.17 करोड़ (27.06.2008); एवं किमी 47–59: ₹ 15.04 करोड़ (13.06.2008)
[50]किमी 31 से 46 तथा 47 से 59
[51]बाउचर संख्या 55 दिनॉक 25.06.2010 धनराशि ₹ 22,03,87,593 या ₹ 22.04 करोड़, किमी 31–46 के लिए
[52]बाउचर संख्या 100 दिनॉक 24.12.2009 धनराशि ₹ 16,47,74,868 या ₹ 16.48 करोड़, किमी 47–59 के लिए
[53]₹ 18,92,48,355×5.01 प्रतिशत = ₹ 94.81 लाख अथवा ₹ 0.95 करोड़

इसे लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2009) में इंगित किए जाने पर प्रमुख अभियंता ने अवगत कराया (दिसम्बर 2010) कि निविदायें कार्यों को तत्काल कराये जाने की आवश्यकता के दबाव में आमंत्रित की गयी थीं। उत्तर सही नहीं था क्योंकि न तो कार्य ही अत्यावश्यक प्रकृति का था और न ही यह वित्तीय नियमों के अनुरूप था (प्रशासनिक स्वीकृति से तीन माह अग्रिम) तथा निविदा आमन्त्रण सूचना में भी अतिशीघ्रता का उल्लेख नहीं किया गया था।

शासन ने (जनवरी 2013) उत्तर में बताया कि कार्य की स्वीकृति एवं दरों के अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा समुचित प्रयास नहीं किया गया था। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रयास किया गया होता तो किमी 31–46 की वार्तोपरान्त दरें किमी 47–59 की तरह समान होती। अतएव सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

अग्रेतर चर्चा के दौरान (जनवरी 2013) शासन ने तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार करते हुए कहा कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

3.1.11 संदिग्ध व्यय एवं अधोमानक कार्य

गोवर्धन परिक्रमा मार्ग, मथुरा पर प्रयोग हेतु प्राप्त की गयी बिटुमिन के भुगतान की राशि ₹ 1.35 करोड़ के समर्थन में आवश्यक अभिलेख न होने से ₹ 8.32 करोड़ की लागत का संदिग्ध व्यय एवं अधोमानक बिटुमिनस कार्य हुआ।

शासनादेश (मई 2009) के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा सीधे रिफाइनरी से बिटुमिन आपूर्ति लिए जाने का प्रावधान था। ठेकेदार को प्रदान की गयी बिटुमिन के विरुद्ध भुगतान, मूल इनवाइस/आपूर्ति प्राप्ति चालान ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर करना था एवं निरस्त तथा क्रास किए जाने के उपरांत बीजक के साथ संलग्न किया जाना था। प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के आदेश (अक्टूबर 2008) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिटुमिन आपूर्ति आदेश के विवरण, आपूर्ति अवधि एवं कार्य स्थल की सूचना रिफाइनरी को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मथुरा के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2011) में यह पाया गया कि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण कार्य हेतु अधीक्षण अभियन्ता, मथुरा द्वारा मेसर्स पीएनसी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, मथुरा के साथ ₹ 45.11 करोड़ की लागत का एक अनुबंध गठित (फरवरी 2009) किया गया था जिसकी कार्य पूर्ण की निर्धारित तिथि फरवरी 2010 थी। बिटुमिन की आपूर्ति ठेकेदार द्वारा तेल रिफाइनरी से प्राप्त की जानी थी।

लेखापरीक्षा जाँच (जनवरी 2011) एवं खण्ड से (सितम्बर 2011) तथा तेल रिफाइनरी[54] (मई एवं जून 2011) से एकत्र की गयी सूचना से यह विदित हुआ कि सन्दर्भित कार्य हेतु ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए 41 कन्साईनी रिसीट चालान में से 20[55] आपूर्ति प्राप्ति चालान के सापेक्ष बिटुमिन इस कार्य हेतु आपूर्ति नहीं किए गए थे। इन 20 आपूर्ति प्राप्ति चालान में से 13 आपूर्ति प्राप्ति चालान ग्वालियर, मध्य प्रदेश, 02 अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, मथुरा के स्वयं के प्रयोजन हेतु, एवं 05 आगरा

[54]इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान कोलास लिमिटेड
[55]इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड से 13 सीआरसी, हिन्दुस्ताल पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड से 05 सीआरसी एवं हिन्दुस्तान कोलास लिमिटेड से 02 सीआरसी।

जनपद के कार्यो से सम्बन्धित थे। उक्त आपूर्ति प्राप्ति चालान की प्रतियाँ जिनके विरुद्ध ठेकेदार को भुगतान किए गये थे ठेकेदार के आपूर्ति प्राप्ति चालान की मूल प्रति के स्थान पर ट्रान्सपोर्टर या अधिकृत व्यक्ति/निर्धारिती से सम्बन्धित थे। अधिशासी अभियंता द्वारा बिटुमिनस कार्य हेतु ₹ 8.32 करोड़ का भुगतान किया गया (मार्च 2012) था जिसमें इन्ही 20 आपूर्ति प्राप्ति चालान के सापेक्ष ₹ 1.35 करोड़ का 313.09 एमटी बिटुमिन सम्मिलित था। कार्य में प्रयुक्त होने वाले बिटुमिन की मात्रा 1231.56 एमटी थी जिसमें सम्मिलित 313.09 एमटी बिटुमिन इस कार्य पर निर्गत नहीं की गयी थी। ठेकेदार को भुगतान हेतु समर्थन में संलग्न आपूर्ति प्राप्ति चालान गोवर्धन परिक्रमा मार्ग, मथुरा से सम्बन्धित नहीं होने से 20 आपूर्ति प्राप्ति चालान के विरुद्ध ₹ 1.35 करोड़ के बिटुमिन के उपयोग की निश्चितता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

इसको इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता द्वारा उत्तर में यह बताया गया (जनवरी एवं अगस्त 2011) कि इन्टरनेट के माध्यम से तेल रिफाइनरियों द्वारा बिटुमिन आपूर्ति का सत्यापन किया गया था। अग्रेतर बताया गया कि सभी तीन प्रतियाँ मूल हैं। उत्तर सही नही है क्योंकि जो बिटुमिन आपूर्ति प्राप्ति चालान के सापेक्ष प्राप्त की गयी थी वह इस कार्य से सम्बंधित नही थी एवं भुगतान ठेकेदार के मूल आपूर्ति प्राप्ति चालान के सापेक्ष नही किया गया था। अग्रेतर, तेल कम्पनियों से एकत्रित सूचना से यह पुष्टि हुई कि 41 आपूर्ति प्राप्ति चालान के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा 20 आपूर्ति प्राप्ति चालान की बिटुमिन जो इस कार्य पर निर्गत होना दिखाया गया था एवं खण्ड द्वारा बिटुमिनस कार्य हेतु भुगतान किया गया था, इस कार्य से सम्बन्धित नहीं थी। अतः अधिशासी अभियंता द्वारा ₹ 1.35 करोड़ का भुगतान उन आपूर्ति प्राप्ति चालान के सापेक्ष किया गया जो ₹ 8.32 करोड़ के इस बिटुमिनस कार्य के लिए निर्गत नहीं किए गए थे।

शासन द्वारा तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार (22 जनवरी 2013) किया गया तथा उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को 10 दिनों में उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन दिया गया जो अनुस्मारकों के बावजूद प्रतीक्षित है (मार्च 2013)।

3.1.12 व्ययाधिक्य

वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग, सोनभद्र के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के आगणन में टिपर पाँच घनमीटर क्षमता की अनियमित उच्च दर प्रावधान के कारण ₹ 1.13 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

लोक निर्माण विभाग में राज मार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित मानक डाटा बुक में दिये गये दरों के अनुसार दरें विश्लेषित की जाती है। प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग लखनऊ के परिपत्र (सितम्बर 2008) के अनुसार मशीनरी पर पाँच प्रतिशत मूल्य वृद्धि आधार वर्ष 2001–02 को लेते हुए प्रत्येक वर्ष अनुमन्य है। मानक डाटा बुक (2003) के अनुसार, टिपर[56] पाँच घनमीटर क्षमता की आधार वर्ष 2001–02 के लिये निर्धारित दर ₹ 1.74 प्रति टन/किमी थी।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–3, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र की लेखापरीक्षा (मई 2011) में यह पाया गया कि शासन द्वारा (जनवरी 2009) वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग, सोनभद्र में 62 किमी के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (किमी 37 से 98) हेतु ₹ 265.66 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त कार्य

[56]मिटटी की ढुलाई, ग्रेनुलर सब बेस, वेट मिक्स मैकाडम, हाट मिक्स इत्यादि में उपयोग की जाने वाली मशीन।

की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी द्वारा प्रदान (मई 2009) की गयी। अधीक्षण अभियन्ता, मिर्जापुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, मिर्जापुर द्वारा जनवरी 2009 (तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के 4 महीने पूर्व) में मेसर्स छात्र शक्ति कान्स्ट्रक्शन कंपनी के साथ ₹ 125.15 करोड़ की आगणित लागत के सापेक्ष ₹ 124.84 करोड़ का अनुबंध[57] गठित किया गया था। आगणन में ग्रेनुलर सब बेस तथा वेट मिक्स मैकाडम बिछाने के लिए प्रयुक्त टिपर की स्टैण्डर्ड डाटा बुक के अनुसार दरें ₹ 1.74[58] (प्रति टन/किमी) के स्थान पर ₹ 3.35[59] प्रति टन/किमी प्रावधानित की गयी थी। इस प्रकार ग्रेनुलर सब बेस तथा वेट मिक्स मैकाडम के लिये उपयोग में लाई जाने वाली टिपर की दरों को विभाग द्वारा क्रमशः ₹ 176.22 एवं ₹ 193.84 के स्थान पर ₹ 324.20 एवं ₹ 356.62 प्रति घनमीटर प्रावधानित की गयी थी।

इस प्रकार, टिपर हेतु उपयोग किये जाने के लिए अधिक दरें ग्रेनुलर सब बेस के लिए ₹ 147.98 प्रति घनमीटर तथा वेट मिक्स मैकाडम के लिए ₹ 162.98 प्रति घनमीटर प्रावधानित करने के फलस्वरूप ग्रेनुलर सब बेस की 48,492.384 घनमीटर तथा वेट मिक्स मैकाडम की 25,749.415 घनमीटर की निष्पादित मात्राओं के अनुरुप ₹ 1.13 करोड़ का व्ययाधिक्य तृतीय चालू बीजक (मार्च 2011) के भुगतान तक किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 3.3** में वर्णित है।

इसको लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियंता ने उत्तर में बताया (मई 2011 एवं जून 2012) कि राज मार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय की विशिष्टियों के अनुसार दरें विश्लेषित की गयी थी। आगे यह भी बताया गया (मई 2012) कि प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के परिपत्र (जनवरी 2006) के अनुसार आगणन स्वीकृत किया गया जिसके अनुसार टिपर की दर ₹ 3.45 प्रति टन/किमी थी, जबकि आगणन में दर को ₹ 3.35 प्रति टन/किमी लिया गया था।

उत्तर सही नहीं था क्योंकि राज मार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय विशिष्टियों एवं विभाग के परिपत्र (सितम्बर 2008) के विरुद्ध ग्रेनुलर सब बेस एवं वेट मिक्स मैकाडम की अंगीकृत विश्लेषित टिपर की दरें मानक डाटा बुक में निर्धारित दर से अधिक थी। प्रमुख अभियन्ता के परिपत्र (जनवरी 2006) में प्रावधानित दर ₹ 3.45 प्रति टन/किमी विभागीय हाट मिक्स प्लांट (20–30 टन) के अतिरिक्त आईटम थे तथा टिपर की उपयोग दरें नहीं थी। टिपर के उपयोग दरों का निर्णय प्रमुख अभियन्ता (सितम्बर 2008) के परिपत्र के अन्तर्गत राज मार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय डाटा बुक के अनुसार निर्धारित की जानी थी।

चर्चा के दौरान (जनवरी 2013) शासन द्वारा तथ्यों, आँकड़ों एवं लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गयी आपत्तियों को स्वीकार किया गया। शासन द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया कि जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

[57]अनुबन्ध संख्या 74/एसई/08–09 दिनॉक 24.01.2009

[58]टिपर की दर ₹ 1.74x35% (आधार वर्ष 2001–02 को शामिल करते हुए वृद्धि) = ₹ 2.35

[59]टिपर की दर ₹ 3.35x29% वृद्धि = ₹ 4.32

3.1.13 बिटुमिन के कार्यों पर परिहार्य व्यय

इण्डियन रोड कांग्रेस के दिशा–निर्देश एवं कन्सल्टेन्ट फर्म की संस्तुतियों के उल्लंघन के कारण महंगी विशिष्टियों के उपयोग के परिणामस्वरुप ₹ 7.63 करोड़ का परिहार्य व्यय।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 205 के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सार्वजनिक धन का उपयोग करते समय उसी प्रकार की सतर्कता बरतेगा जैसा कि एक सामान्य व्यक्ति स्वयं की धनराशि को व्यय करते समय बरतता है। अग्रेतर, फ्लेक्सीबिल पेवमेण्ट संरचना हेतु इण्डियन रोड कांग्रेस 37–2001 में निहित है कि एक मिलियन स्टैण्डर्ड एक्सल संकलित यातायात एवं सीबीआर मूल्य 6 प्रतिशत के लिए 20 एमएम बिटुमिनस प्रीमिक्स कार्पेट का प्रावधान बियरिंग सतह के लिए किया जायेगा।

अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड–चतुर्थ, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अभिलेखों की जाँच (अप्रैल 2011) में पाया गया कि शासन द्वारा लखनऊ–कानपुर मार्ग से हरदोई मार्ग तथा हरदोई मार्ग से सीतापुर मार्ग (दो लेन से छः लेन) सर्विस लेन (किमी 22.47) सहित रिंग रोड के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए ₹ 297.31 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान (मार्च 2008) की गयी थी। मुख्य अभियंता, लखनऊ जोन, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ने उपरोक्त निर्माण कार्यों के लिए समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति निर्गत (जून 2008) की। तदनुसार, दो अनुबन्ध[60], प्रथम ₹ 287.95 करोड़ की धनराशि का एक अनुबंध मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा सर्विस लेन के निर्माण के लिए बिल आफ क्वान्टिटी से 15 प्रतिशत अधिक पर निष्पादित किया गया एवं छः लेन मार्ग एवं सर्विस लेन के निर्माण में पेवमेन्ट संरचना तथा क्रस्ट डिजाइन के लिए कन्सलटेन्सी उपलब्ध कराने के लिए एक अन्य अनुबन्ध ₹ 0.43 करोड़ का निष्पादित किया गया (क्रमशः अगस्त 2008 एवं मई 2011)।

अनुबन्धों की जाँच में यह पाया कि इण्डियन रोड कांग्रेस–37–2001 के दिशा–निर्देशों के प्रावधानों तथा कन्सलटेन्ट फर्म की सर्विस लेन में सर्फेस ड्रेसिंग के लिए ग्रेन्यूलर बेस पर 20 एमएम प्रिमिक्स कार्पेट की संस्तुति के प्रतिकूल सर्विस लेन में 50 एमएम मोटी बिटुमिनस मैकेडम तथा 25 एमएम मोटी सेमी डेन्स बिटुमिनस कन्क्रीट से सर्फेस ड्रेसिंग की गयी थी जिसके कारण सर्विस लेन की आच्छादित 3.298 किमी रेलवे ओवर ब्रिज एवं फ्लाई ओवर भाग की लागत छोड़कर ₹ 7.63 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया **(परिशिष्ट 3.4 एवं 3.5)।**

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित (नवम्बर 2011) किए जाने पर शासन ने बताया (नवम्बर 2012) कि सर्विस लेन के निर्माण के लिए कन्सलटेन्ट द्वारा उपलब्ध करायी गयी डिजाइन एक मिलीयन स्टैन्डर्ड एक्सल पर आधारित था, जिसमें कि 165 एमएम ग्रेनुलर सब बेस, 225 एमएम वेट मिक्स मैकाडम तथा 20 एमएम प्रीमिक्स कार्पेट का प्रावधान केवल हल्के वाहनों द्वारा उपभोग किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था, परन्तु यह पाया गया कि सर्विस लेन के अधिकतर भाग का प्रयोग मुख्य मार्ग पर पाँच स्थानों पर रेलवे ओवर ब्रिज तथा फ्लाई ओवर के निर्माण के कारण भारी यातायात के व्यावर्तन के रूप में किया जाना था, इसलिए सर्विस लेन में 50 एमएम बिटुमिनस मैकेडम तथा 25 एमएम सेमी डेन्स बिटुमिनस कान्क्रीट के बिटुमिन कार्यों को स्वीकृत

[60]मेसर्स विजय इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 के साथ अनुबंध संख्या 14/एसई/2008–09 दिनांक 26.08.2008 एवं मेसर्स एक्मेटेक कन्सलटेन्ट प्रा0 लि0 के साथ अनुबंध संख्या 04/एसई–एलओ/08–09 दिनांक 06.06.2008

एवं निष्पादित किया गया। उत्तर एवं दिये गये औचित्य स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि सर्विस लेन में महंगी बिटुमिन सतह लेपन का निष्पादन इण्डियन रोड कांग्रेस–37–2001 के दिशा–निर्देश तथा कन्सलटेन्ट फर्म की संस्तुतियों के विपरीत था।

इस प्रकार पाँच स्थानों पर रेलवे ओवरब्रिज तथा फ्लाई ओवर के निर्मित भागों को छोड़कर 19.172 किमी मार्ग में महँगी बिटुमिनस विशिष्टियों का उपयोग करने के कारण ₹ 7.63 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

शासन द्वारा वार्ता में (जनवरी 2013) तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार किया गया।

3.1.14 मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण पर परिहार्य व्यय

अचलगंज–गंगाघाट मार्ग को दो लेन से चार लेन तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण में शासनादेश एवं यातायात गणना के प्राविधानों के उल्लंघन से ₹ 22.18 करोड़ का परिहार्य व्यय।

उत्तर प्रदेश शासन ने निर्णय लिया (दिसम्बर 2003) कि 10,000 पैसेन्जर कार यूनिट या अधिक के यातायात घनत्व वाले मार्ग दो लेनों (07 मीटर) तक चौड़ीकृत किये जायेंगे। लोक लेखा समिति बैठक (अगस्त 2005) के निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख अभियंता के परिपत्र संख्या 7947 एमटी/60एमटी/799 दिनांक 07.11.2005 के द्वारा समुचित यातायात गणना के पालन करने के लिए इण्डिन रोड कांग्रेस–9–1972 के प्रावधानों के अनुसार व्यवस्था/प्रकिया को निर्धारित किया गया था।

अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड–प्रथम, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव के अभिलेखों की जाँच (अक्टूबर 2009) से यह विदित हुआ कि अचलगंज–गंगाघाट मार्ग (किमी 9.400 से 15.350) के दो लेन तक चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य ₹ 4.61 करोड़ की लागत से (अगस्त 2007) पूर्ण किया गया था। यद्यपि, उक्त मार्ग के एक लेन से दो लेन उच्चीकरण हेतु किये गये यातायात सर्वेक्षण के अभिलेख लेखापरीक्षा द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराया गया था। अग्रेतर मार्ग के पूर्ण होने के दो माह के अन्दर ₹ 20.68 करोड़ का एक आगणन, इस मार्ग[61] (किमी 9.400 से 15.350) के चौड़ीकरण (07 से 14 मीटर) तथा सुदृढ़ीकरण (47 से 57 सेमी क्रस्ट) हेतु जनवरी 2007 में यातायात गणना के आधार पर, शासन को प्रेषित किया गया था। आगणन/प्रस्ताव ₹ 19.93 करोड़ के लिए स्वीकृत (नवम्बर 2007) किया गया था। तत्पश्चात् चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य के लिए दो अनुबंध[62] उसी ठेकेदार[63] के साथ निष्पादित (नवम्बर 2007) किए गए जिसने पूर्व में उक्त मार्ग का कार्य अगस्त 2007 में निष्पादित किया था। इन दोनों अनुबंधों के विरुद्ध ₹ 22.18 करोड़ का अंतिम भुगतान किया गया (जुलाई तथा दिसम्बर 2009) था। मुख्य अभियंता ने सितम्बर 2009 में ₹ 22.68 करोड़ की पुनरीक्षित लागत को स्वीकृत किया था।

यह भी पाया गया कि चार लेन का कार्य उसी यातायात गणना के आधार पर स्वीकृत किया गया था जिसे किमी 10 (चैनेज 9.900 किमी) पर किया जाना (जनवरी 2007) बताया गया था, जहाँ पर तेज एवं धीमी गति वाहन का औसत दैनिक यातायात 3,933 ट्रक सहित 19,788 इकाई था, जबकि दो लेन के चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर था, जिस पर तीन ट्रक प्रत्येक मिनट पर वास्तविक रूप में गुजर रही थीं। अधिशासी

[61]मार्ग कानपुर–उन्नाव–लखनऊ मार्ग, राज्य मार्ग–58 के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग–25: कानपुर–लखनऊ को जोड़ता है।
[62]अनुबंध संख्या : 06/एसई/2007–08: रू0 9.10 करोड़ तथा 07/एसई/2007–08: रू0 8.14 करोड़।
[63]मेसर्स अरूण कन्साट्रक्शन, उन्नाव।

अभियंता द्वारा उत्तर में बताया गया कि (मार्च 2013) मार्ग के दो लेन के चौड़ीकरण की यातायात गणना संबंधित अभिलेख खण्ड में उपलब्ध नहीं थे।

इंगित किए जाने पर मुख्य अभियंता ने उत्तर में यह बताया (जनवरी 2011) कि मार्ग का चार लेन में चौड़ीकरण आवश्यकतानुसार, जनता की मांग पर तथा स्थानीय सांसद के प्रस्ताव पर किया गया था। अग्रेतर, अधिशासी अभियन्ता ने उत्तर में बताया (मई 2012) कि यातायात गणना को अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता तथा प्रमुख अभियंता को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं थी और न ही इसे भेजा गया था। उत्तर सही नहीं था क्योंकि लोक लेखा समिति की अगस्त 2005 में बैठक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में प्रमुख अभियंता द्वारा जारी परिपत्र (नवम्बर 2005) में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया था कि यातायात गणना को अधिशासी अभियंता द्वारा प्रपत्र–3 में अधीक्षण अभियंता एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के माध्यम से मुख्य अभियंता, मुख्यालय, निदेशक अन्वेषणालय (शोध संस्थान) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को प्रेषित किये जायें।

इस प्रकार ₹ 22.18 करोड़ की लागत से मार्ग के दो लेन से चार लेन चौड़ीकरण, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश (दिसम्बर 2003) जिसके अनुसार 10,000 पैसेन्जर कार यूनिट या अधिक के यातायात घनत्व वाली मार्ग को दो लेन (7 मीटर) तक चौड़ीकरण किया जाना था, के विरुद्ध था।

शासन ने तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार किया (जनवरी 2013) तथा यातायात गणना के अभिलेखों की पुनः जॉच कर उत्तर देने का आश्वासन दिया जो प्रतीक्षित है (मार्च 2013)।

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग

3.1.15 फर्जी बैंक गारण्टी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रायबरेली के अंतर्गत दिए गए सड़क निर्माण कार्य हेतु ₹ 38 लाख की फर्जी बैंक गारण्टी स्वीकार किए जाने से ठेकेदार पर अधिरोपित ₹ 1.75 करोड़ का अर्थदण्ड वसूल नहीं हुआ।

प्रधान मंत्री ग्रामीण संड़क योजना के स्टैण्डर्ड बिड डाक्यूमेण्ट के क्लाज 45(i) के अनुसार, नियोक्ता बिना शर्त बैंक गारन्टी के सापेक्ष ठेकेदार को मोबिलाइजेशन एवं मशीनरी अग्रिम दे सकता है। केन्द्रीय सर्तकता आयोग के कार्यालय ज्ञाप (दिसम्बर 2007) में प्रावधान है कि ठेकेदार से बैंक गारण्टी प्राप्त होने के उपरान्त जारीकर्ता बैंक से बिना मुहर बैंक गारन्टी की द्वितीय प्रतिलिपि प्रेषित किए जाने हेतु, तत्काल निवेदन किया जाए जिसे असली बैंक गारन्टी से मिलान कर उसकी सत्यता सिद्ध करायी जा सके। बीजी को स्वतंत्र रूप से संगठन (इस प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता) द्वारा भी सत्यापित कराया जाना चाहिए था।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, कार्यक्रम क्रियान्वयन ईकाई-II, रायबरेली की लेखापरीक्षा (सितम्बर 2011) में पाया गया कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीन पैकेजों[64] हेतु, भारत सरकार द्वारा ₹ 7.90 करोड़ की लागत का प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया था (सितम्बर 2006 एवं फरवरी 2007)। अधीक्षण अभियन्ता,

[64]पैकेज: 5825-कोडाउ से सालाराहा मार्ग, पैकेज:5827-सतनवा से चक सिंगरिया, मुंशीगंज–डाकमऊ सड़क से पूरेजुबारी गिरगिरानपुर तक, बिलहटा से रौसी और पैकेज:5833- टी 08 बिलहटा से रौसी–सभी जिला रायबरेली।

लखनऊ वृत्त, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ ने एक ही ठेकेदार से ₹ 7.85 करोड़ की लागत के तीन अनुबंध[65] गठित किए गए जिनकी कार्य पूर्ण तिथियाँ मई–सितम्बर 2008 थीं। ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर अनुबंध निरस्त किए जाने (जुलाई 2008 एवं फरवरी 2009) के पूर्व ₹ 1.04 करोड का व्यय कार्य पर किया जा चुका था। अधीक्षण अभियंता ने ठेकेदार के विरुद्ध ₹ 1.36 करोड़[66] का अर्थदण्ड अधिरोपित किया (जुलाई, अगस्त 2008 एवं नवम्बर 2009) जो कि फरवरी 2012 में ₹ 2.15 करोड़[67] पुनरीक्षित हो गयी थी। अर्थदण्ड धनराशि के समायोजन के समय ठेकेदार द्वारा (जून 2007) प्रस्तुत ₹ 38 लाख की बैंक गारण्टी, जिसके सापेक्ष मोबिलाइजेशन/मशीनरी अग्रिम प्रदान किया गया था, फर्जी पाई गयी थी (मई 2008)। बैंक द्वारा सूचित किया गया (जून 2008) कि बैंक गारण्टी मात्र ₹ 38,000 की थी तथा यह जुलाई 2007 तक ही वैध थी। इसके अतिरिक्त, शासन ने सूचित किया (जुलाई 2012) कि ठेकेदार से अधिरोपित अर्थदण्ड के विरुद्ध ₹ 40.26 लाख की राशि वसूल की गयी थी। यदि खण्ड द्वारा बैंक गारण्टी का समय से एवं उचित ढंग से सत्यापन कराया गया होता तो अधिरोपित अर्थदण्ड के विरुद्ध ₹ 38.00 लाख की वसूली भी हो गयी होती। इस प्रकार, ₹ 1.75 करोड़ की अधिरोपित अर्थदण्ड अनुबंधों के निरस्त होने के 46 से 54 महीने की अवधि व्यतीत होने के बाद भी बिना वसूली रह गयी थी (दिसम्बर 2012)।

इसको इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने बताया (सितम्बर 2011) कि बैंक ने विभाग को दिग्भ्रमित किया एवं ठेकेदार को दिया गया अग्रिम ठेकेदार के बीजकों एवं परफारमेंस सिक्योरिटी से समायोजित किया जा चुका था।

अग्रेतर, शासन ने अवगत कराया (जुलाई 2012) कि (i) अधिशासी अभियंता द्वारा बैंक गारण्टी का सत्यापन (जून 2007) किया गया था (ii) सत्यापन करने वाले अवर अभियन्ता को निलम्बित (जून 2012) किया जा चुका है (iii) ठेकेदार को फेज–6 योजना के मार्च 2009 तक के कार्यों हेतु प्रतिबन्धित कर दिया गया है, तथा (iv) प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग से ठेकेदर का पंजीकरण निरस्त करने तथा उसे काली सूची में डालने हेतु अनुरोध किया गया है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज (जुलाई 2012) करा दी गयी तथा जिलाधिकारी, रायबरेली से अर्थदण्ड की अवशेष धनराशि ₹ 1.75 करोड़ की वसूली भू–राजस्व बकाया के रूप में करने का अनुरोध किया गया है। अनुपालन में जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा वसूली प्रमाणपत्र निर्गत करते हुए तहसीलदार, लालगंज को भू–राजस्व के रुप में वसूली हेतु निर्देशित (मई 2012) किया गया था।

इस प्रकार, यदि विभाग ने बैंक गारण्टी का सत्यापन समय से एवं उचित ढंग से किया होता तो कम से कम ₹ 38 लाख की वसूली प्रभावी हो सकती थी।

शासन ने चर्चा (दिसम्बर 2012) के दौरान तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार करते हुए यह कहा कि दोषी अधिकारियों तथा ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

[65]अनुबन्ध संख्या.23/एसई दिनांक 16.05.07: ₹ 2.37 करोड़, 34/एसई दिनांक 17.07.07: ₹ 2.97 करोड़ और 38/एसई दिनांक 18.09.07: ₹ 2.51 करोड़।

[66]अनुबन्ध संख्या.23/एसई दिनांक 16.05.07: ₹ 0.34 करोड़, 34/एसई दिनांक 17.07.07: ₹ 0.53 करोड़ और 38/एसई दिनांक 18.09.07: ₹ 0.49 करोड़।

[67]अनुबन्ध संख्या.23/एसई दिनांक 16.05.07: ₹ 0.58 करोड़, 34/एसई दिनांक 17.07.07: ₹ 0.83 करोड़ और 38/एसई दिनांक 18.09.07: ₹ 0.74 करोड़।

3.2 औचित्य लेखापरीक्षा और बिना उचित समर्थन के व्ययों के प्रकरण

लोक निधियों से प्राधिकृत होने वाले व्यय औचित्य और लोक व्ययों की दक्षता के सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित होते हैं। प्राधिकारी जिसे व्यय के लिए सामर्थ्य किया जा रहा है वह उसका परिपालन उसी प्रकार करे जैसा कि सामान्य विवेक का व्यक्ति अपने स्वयं के धन के सम्बन्ध में करता है। प्रत्येक स्तर पर वित्तीय आदेशों और मितव्ययिता को लागू किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में अनौचित्य और अतिरिक्त व्यय के प्रकरण प्रकाश में आए हैं।

कृषि विभाग

3.2.1 मानदेय के रूप में वितरित निष्फल व्यय

किसान मित्र योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 की अवधि में 7,448 किसान मित्रों को अनियमित रूप से परिनियोजित कर ₹ 10.90 करोड़ मानदेय के रूप में भुगतानित व्यय निष्फल हुआ।

शासन ने राज्य कृषि विश्वविद्यालय के शोधों एवं किसानों के मध्य के अंतर को कम करने हेतु, 'किसान मित्र योजना' प्रारम्भ की (1998–99)। योजना के अनुसार, शासन द्वारा वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के पश्चात् ग्राम पंचायत में विभिन्न कार्यो जैसे ग्राम पंचायत के आधारभूत अभिलेख की व्यवस्था करना, मृदा नमूनों को संकलित कर प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए प्रस्तुत करना, किसानों को कृषि सहायता प्रदान करना, किसानों को मिनी किट्स प्रदान करना एवं कृषक हित समूह की स्थापना करना आदि के नियोजन हेतु तहसील स्तर पर समिति[68] द्वारा एक प्रगतिशील किसान का चयन किया जाना था। उक्त किसान को 'किसान मित्र' पदनाम से परिनियोजित किया जाना था एवं उसे वार्षिक कार्य योजना में विनिर्दिष्ट दर से मानदेय का भुगतान, वर्ष 2003–04 से किया जाना था।

उप निदेशक, कृषि, पीलीभीत के कार्यालय के अभिलेखों की जाँच (अप्रैल 2011) तथा तत्पश्चात संकलित सूचनाओं में पाया गया कि शासन द्वारा वर्ष 2009–10 में किसान मित्रों के मानदेय वितरण हेतु ₹ 67.91 करोड़ की राशि का बजट प्रावधान किया गया। निदेशक, कृषि, लखनऊ ने सितम्बर 2009 में योजना की संशोधित वार्षिक कार्य योजना, शासन को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की। यद्यपि, शासन द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया तथा प्रस्तुति के छः माह पश्चात योजना को मार्च 2010 में बन्द कर दिया गया तथा ₹ 67.91 करोड़ का बजट प्रावधान मार्च 2010 में समर्पित कर दिया गया। फिर भी, उप निदेशकों (प्रसार) ने तहसील स्तर की उपरोक्त समिति द्वारा किसान मित्रों के चयन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, उन किसान मित्रों का परिनियोजन (2009–10) जारी रखा जिनका चयन पूर्ववर्ती वर्षों में किया गया था। किन्तु, योजना को रोक देने तथा संशोधित वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित न होने के कारण, मानदेयों का भुगतान नहीं किया गया। फलस्वरूप, उत्तर प्रदेश किसान मित्र संगठन, लखनऊ[69] द्वारा मानदेयों के संवितरण हेतु माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में याचिका दायर की गयी (2009)। माननीय उच्च न्यायालय ने शासन को उन किसान मित्रों को मानदेयों के भुगतान का आदेश दिया (दिसम्बर 2009) जिन्होंने कार्यों का निष्पादन किया था जिसके परिणामस्वरूप शासन ने वर्ष 2010–11 की अवधि में ₹ 58.36 करोड का पुनः बजट प्रावधान किया तथा निदेशक, कृषि को इस निर्देश (जुलाई 2010) के साथ कि वर्ष

[68]अध्यक्षः उप–सम्भागीय कृषि अधिकारी एवं सदस्यःसहायक विकास अधिकारी, किसान सहायक, पौध रक्षा अधिकारी आदि।
[69]ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत किसान मित्रों का एक संघ।

2008–09 के लिए निर्धारित दर से किसान मित्रों को उनके द्वारा निष्पादित कार्यो के सत्यापन के बाद मानदेयों के भुगतान हेतु ₹ 44.32 करोड़ की स्वीकृति दी (जुलाई और अगस्त 2010)। वर्ष 2010–11 में ₹ 44.32 करोड का मानदेय वितरित किया गया। तथापि जाँच से यह संज्ञान में आया कि ₹ 44.32 करोड़ में से ₹ 10.90 करोड़ 25 जनपदों[70] के 7,448 किसान मित्रों को बिना किसी कार्य निष्पादित किये ही वितरित किया गया जिससे यह व्यय निष्फल रहा।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (अप्रैल 2012) कि किसान मित्रों से विभिन्न कार्य लिए गए जैसे प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु मृदा का संकलन आदि। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 25 जनपदों में 7448 किसान मित्रों को बिना किसी कार्य निष्पादन के ही ₹ 10.90 करोड़ का वितरण किया गया था ।

शासन ने चर्चा के दौरान (दिसम्बर 2012) तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार किया तथा पुनः कहा कि किसान मित्रों को शासन द्वारा वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के पूर्वानुमान में परिनियोजित किया गया था। यह कार्य भी सही नहीं था क्योंकि शासन द्वारा संशोधित वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति के पश्चात ही किसानों को परिनियोजित कर विविध कार्यों को कराया जाना था ।

सिंचाई विभाग

3.2.2 अतिरिक्त जल के निस्तारण की व्यवस्था का प्रावधान न करने के कारण निरर्थक व्यय

किच्छा बैराज से अतिरिक्त जल के निस्तारण की व्यवस्था का प्रावधान न करने के कारण₹ 11.74 करोड़ का निरर्थक व्यय।

किच्छा मुख्य नहर एवं उसकी शाखाओं को जल उपलब्ध कराकर 15,425 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र की सिंचाई की दृष्टि से जनपद उद्यम सिंह नगर में किच्छा नदी पर, किच्छा बैराज का निर्माण 1962 में किया गया था। इसका जल ग्रहण क्षेत्र, अधिकतम डिजाईन निस्तारण 39,279 क्यूसेक्स के साथ 289 वर्ग मील है। 1982 में किच्छा बैराज से लगभग 40 किमी ऊपर 1,15,000 क्यूसेक की निस्तारण क्षमता वाले गोला बैराज का निर्माण किया गया था। गोला बैराज द्वारा निस्तारित जल किच्छा नदी के रास्ते किच्छा बैराज तक पहुंचता है।

अधिशासी अभियंता, रूहेलखण्ड नहर खण्ड, बरेली के अभिलेखों की जाँच (जून 2011) से पता चला कि सितम्बर 2010 में गोला बैराज (किच्छा बैराज के ऊपर की ओर स्थित) से अतिरिक्त (87,000 क्यूसेक) जल का निस्तारण हुआ था तथा अतिरिक्त जल किच्छा बैराज के गेटों से निस्तारित नही किया जा सका। साथ ही यह भी पाया गया कि किच्छा नदी की धारा बैराज के बायी ओर तीन सौ मीटर तक स्थानान्तरित हो गई, फलस्वरूप बैराज, मार्जिनल बांध एवं नहर क्षतिग्रस्त हो गये। क्षतिग्रस्त किच्छा बैराज की पुर्नस्थापना हेतु ₹ 11.77 करोड़ की एक परियोजना को मुख्य अभियंता (शारदा), लखनऊ द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई (सितम्बर 2010)। परियोजना हेतु ₹11.77 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा जनवरी 2011 में प्रदान की गई। पुर्नस्थापना का कार्य ₹ 11.74 करोड़ में पूरा कर लिया गया था (मार्च 2012)।

[70]इलाहाबाद, अम्बेडकरनगर, औरैया, बहराईच, बस्ती, बदायूँ, चित्रकूट, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, जालौन, हमीरपुर कानपुर नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, मैनपुरी, महोबा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर और सीतापुर।

आगे लेखापरीक्षा में यह उद्घटित हुआ कि बैराज के क्षतिग्रस्त होने की पुनरावृत्ति का कारण अतिरिक्त जल के निस्तारण की कोई व्यवस्था न होना था। जाँच में यह भी पाया गया कि विभाग इस तथ्य से अवगत था कि किच्छा बैराज में गोला बैराज से बार–बार अतिरिक्त जल आ रहा था, जिसके कारण किच्छा बैराज की संरचनायें बार–बार क्षतिग्रस्त हो रही थी। 1993 में भी इसी प्रकार की घटना में बैराज की संरचना क्षतिग्रस्त हुयी थी। विभाग द्वारा फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई और बैराज अगस्त 2011 में पुनः क्षतिग्रस्त हुआ जिसके कारण पुनः परिहार्य व्यय होगा। यदि विभाग द्वारा गोला बैराज के अतिरिक्त जल के निस्तारण हेतु समुचित व्यवस्था कर दी जाती तो किच्छा बैराज एवं नहर आदि की क्षति को रोका जा सकता था। इस प्रकार, अतिरिक्त जल के निस्तारण हेतु समुचित व्यवस्था के अपर्याप्त नियोजन के कारण ₹ 11.74 करोड़ का व्यय निरर्थक रहा (मार्च 2012)।

शासन द्वारा चर्चा (जनवरी 2013) के दौरान तथ्यों एवं आँकडों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि किच्छा बैराज को अधिक जल प्रवाह/बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने से बचाने हेतु बैराज की सुरक्षा में वृद्धि हेतु विभाग स्तर पर कार्यवाही विचाराधीन है।

कारागार प्रशासन और सुधार सेवाएँ

3.2.3 भूमि की खरीद पर परिहार्य व्यय

शासन के असफल और असंगत निर्णय से गौतम बुद्ध नगर में कारागार भवन के निर्माण हेतु भूमि की खरीद पर ₹ 107.46 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया ।

राज्य सरकार के स्वामित्व में जनपद गौतम बुद्ध नगर के दनकौर तहसील के नमौली ग्राम में 63 एकड़ भूमि[71] उपलब्ध थी । शासन ने 63 एकड़ भूमि में से 35 एकड़ भूमि पर कारागार भवन बनाने का निर्णय लिया (जून 1997)। इसके लिए ₹ 144.51 करोड़ की निर्माण लागत अनुमानित की गई थी (सितम्बर 2010)। शासन द्वारा भूमि का भारमुक्त अधिग्रहण सुनिश्चित किए बिना ही निर्माण कार्य, दिसम्बर 2012 तक कार्य समाप्ति हेतु, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को सौंपा गया (दिसम्बर 2009) तथा इस कार्य के लिए ₹ 125 करोड़ अवमुक्त किया गया[72]।

जिला कारागार, गाजियाबाद के अभिलेखों की जाँच में पाया गया (सितम्बर 2011) कि विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति[73] द्वारा तीन स्थलों के मूल्यांकन (नवम्बर 2002) के बाद, पूर्वोक्त 35 एकड़ भूमि उपयुक्त पायी गई, जिसका मुख्य कारण था कि यह भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व में थी। यद्यपि यह भूमि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अनधिकृत कब्जे में थी। राज्य सरकार ने इस भूमि को खाली कराने के लिए जिलाधिकारी को कई बार[74] निर्देश दिये थे (2007–09)। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने शासकीय भूमि को खाली करने के बजाय राज्य सरकार को 88.98 एकड़ की अन्य भूमि सदर तहसील के लक्सर गाँव में ₹ 107.46 करोड़ में देने हेतु प्रस्तावित किया (अक्टूबर 2009)। शासन ने इस भूमि पर कब्जा लिया (फरवरी 2010) एवं इसके लिए ₹ 107.46 करोड़ का भुगतान किया

[71]जमींदारी उन्मूलन की धारा 154 के अंतर्गत तथा भूमि सुधार अधिनियम –1950
[72]सितम्बर 2010; ₹ 25 करोड़ एवं मार्च 2011;₹ 100 करोड़।
[73]सरकारी आदेश संख्या 2136पी/22–4–95, दिनांक 19 सितम्बर 1995 द्वारा गठित एवं इसमें जिलाधिकारी, उप महानिदेशक (जेल), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक आदि सम्मिलित।
[74]22फरवरी 2008, 18 मार्च 2008, 28 अप्रैल 2008, 18 नवम्बर 2008 आदि।

(अगस्त 2010)। अतः शासन द्वारा स्वयं की भूमि को अनधिकृत कब्जे से खाली कराने में असफल रहने के कारण लक्सर गाँव में ₹ 107.46 करोड़ में भूमि खरीदनी पड़ी।

संवीक्षा में यह भी पाया गया कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा मार्च 2010 में सूचित किया गया था कि वैकल्पिक भूमि पर भी कारागार भवन[75] का निर्माण अधोलिखित बाधाओं के कारण उचित नहीं था जैसे–भूमि के बीच में गाँव की सड़क थी, भूमि पर जूनियर हाई स्कूल अनधिकृत रूप से संचालित किया जा रहा था, इत्यादि। इसके पश्चात भी, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा इन बाधाओं को हटाए बिना निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया (नवम्बर 2010) तथा ₹ 98.36 करोड़ के व्यय से 68 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया था (सितम्बर 2012), जबकि शेष कार्य प्रगति पर थे।

शासन ने उत्तर में कहा कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से 63 एकड़ भूमि वापस लेने हेतु प्रयास किए गए थे (जून 2012)। शासन ने यह भी कहा (जून 2012) कि स्थल चयन समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया था (अक्टूबर 2009) जिसमें अधीक्षक, जिला जेल, गाजियाबाद, एक सदस्य थे। भूमि उपयुक्त पायी गई थी एवं उनके द्वारा भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया था। तथापि उनके द्वारा बाधाओं को शासन के संज्ञान में नहीं लाया गया था। इस प्रकार, नियमानुसार कार्यवाही की गयी है। उत्तर सम्प्रेक्षा को स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अनधिकृत कब्जे से अपनी भूमि खाली कराने में शासन असफल था। पुनः ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी दूसरी भूमि के भुगतान को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा की गई भूमि की लागत से सम्बद्ध किया जाना चाहिये था। इसके अतिरिक्त बाद में खरीदी गई भूमि, पूर्णरूप से हस्तांतरित नहीं की गयी थी तथा कार्य का आरम्भ, भूमि के पूर्ण एवं भार मुक्त कब्जे को सुनिश्चित किए बिना ही किया गया था। शासन द्वारा ₹ 107.46 करोड़ के परिहार्य व्यय एवं कारागार के लिए भारमुक्त एवं अविवादित भूमि न उपलब्ध कराने के लिए ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। प्रमुख सचिव द्वारा चर्चा के दौरान तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार किया गया (नवम्बर 2012)।

अतः शासन द्वारा स्वयं की भूमि को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अनधिकृत कब्जे से खाली कराने में असफल रहने से ₹ 107.46 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त शासन ने उसी ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से अन्य भूमि खरीदी जिसने सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया था ।

[75]सर्किल दीवार, मुख्य दीवार, और सीमा दीवार।

पंचायती राज विभाग

3.2.4 अनुदानों का दुरुपयोग

शासन द्वारा 'कार्य का क्षेत्र' तैयार करने में विफल रहने के कारण, बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के सात वर्ष पश्चात भी पंचायती राज संस्थाओं की निधियों से संबंधित डाटा बेस नहीं विकसित किये गये। इसके अतिरिक्त ₹ 62.49 करोड़ की निर्दिष्ट धनराशि में से ₹ 62.37 करोड़ का विचलन अन्य योजनाओं पर किया गया ।

बारहवें वित्त आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा (नवम्बर 2004) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं[76] के निधियों को कम्प्यूटरीकृत कर एवं भारत सरकार के पोर्टल से जोड़ कर संबंधित डाटा बेस विकसित किए जाने चाहिये जो सभी के लिए उपलब्ध हो। डाटा बेस इसलिए भी आवश्यक थे क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रमों जैसे 'मनरेगा' आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा था।

निदेशक, पंचायती राज, लखनऊ (निदेशक) के अभिलेखों की जाँच में पाया गया (फरवरी 2011) कि शासन ने बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार ₹ 62.49 करोड़[77] की धनराशि, उपयोग एवं डाटा बेस तैयार करने की समय सीमा का निर्धारण किए बिना ही, स्वीकृत किया एवं वित्त विभाग से आहरण हेतु अनुमोदन प्राप्त कर उक्त धनराशि को जिला पंचायत, लखनऊ के वैयक्तिक लेखा खाते में जमा किया। पंचायती राज विभाग ने 3 अगस्त 2009 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के साथ एक मेमोरेंडम आफ अन्डरस्टैंडिंग का गठन किया जो क्रियान्वयन तिथि से दो वर्षो तक मान्य था एवं सेवाएँ असंतोषजनक होने पर परस्पर समाप्त किया जा सकता था। मेमोरेंडम आफ अन्डरस्टैंडिंग के अनुसार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर को पंचायती राज संस्थाओं तथा विभाग के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु परामर्श सेवाओं के लिये ₹ 12.00 लाख की धनराशि प्रदान की जानी थी तथा विभाग को जाँच एवं संस्तुति हेतु 'कार्य का क्षेत्र'[78] उपलब्ध कराना था। मेमोरेंडम आफ अन्डरस्टैंडिंग जुलाई 2011 तक मान्य था। शासन ने 15 दिसम्बर 2009 को, ₹ 62.49 करोड़ की धनराशि में से ₹ 12 लाख की स्वीकृति दी एवं उस स्वीकृत धनराशि से ₹ तीन लाख भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को भुगतान किया (मार्च 2010) तथा ₹ नौ लाख बैंक खातें[79] में अवरुद्ध रहे। तथापि शासन ने न तो 'कार्य का क्षेत्र' तैयार किया और न ही मेमोरेंडम आफ अन्डरस्टैंडिंग निरस्त किया। अतः ₹ 62.46 करोड़ की धनराशि सितम्बर 2009 तक अप्रयुक्त[80] पड़ी थी।

निदेशक, पंचायती राज ने, सितम्बर 2009 और दिसम्बर 2009 में, शासन को पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के रख–रखाव पर वैयक्तिक लेखा खाते में जमा ₹ 62.37 करोड़ की धनराशि के उपयोग हेतु प्रस्ताव दिया। शासन ने 29 दिसम्बर 2009 को वित्त विभाग के अनुमोदन से प्रस्ताव के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को निधि देने का निर्णय लिया एवं तद्नुसार वित्त विभाग द्वारा अनुमोदन के पश्चात ₹ 62.37 करोड़ की धनराशि का आबंटन आदेश जारी किया। ₹ 62.37 करोड़ की धनराशि में से

[76]जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और ग्राम पंचायत।
[77]सितम्बर 2006: ₹ 33.64 करोड़ एवं अगस्त 2007: ₹ 28.85 करोड़।
[78]अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के विकास में सहभागी, कम्प्यूटर हॉर्डवेयर आदि का प्रबन्ध।
[79]निदेशक पंचायती राज, लखनऊ के नाम से।
[80]व्यक्तिगत लेजर खाता: ₹ 62.37 करोड़ एवं बैंक: ₹ नौ लाख।

₹ 8.43 करोड़ सात जनपदों[81] को आबंटित की गयी, पंचायती राज संस्थाओं ने इस धनराशि में से ₹ 1.65 करोड़ सड़क निर्माण, सोलर लाइट के संस्थापन एवं खण्ड विकास कार्यालयों तथा पंचायत भवनों आदि की मरम्मत पर व्यय किया।

अतः पंचायती राज संस्थाओं की निधियों से संबंधित डाटा बेस बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के सात वर्ष पश्चात् भी विकसित नहीं किए गए थे। पुनः, ₹ 62.49 करोड़ की निर्धारित धनराशि में से, ₹ 62.37 करोड़ का विचलन कर पेयजल और स्वच्छता योजनाओं के रख–रखाव पर व्यय किया गया था। सात जनपदों में आबंटित धनराशि को पंचायती राज संस्थाओं ने पेयजल और स्वच्छता योजनाओं पर व्यय न करके सड़क निर्माण, सोलर लाइट आदि पर व्यय किया। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर को ₹ तीन लाख का किया गया भुगतान भी निरर्थक रहा एवं अवशेष ₹ नौ लाख की धनराशि निदेशक, पंचायती राज के बैंक में दिसम्बर 2009 से बिना उपयोग के पड़ी रही। निदेशक, पंचायती राज ने उत्तर में कहा (फरवरी 2011) कि शासन स्तर पर निर्णय लिए जाने के कारण डाटा बेस का विकास नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्धारित धनराशि के उपयोग का प्रस्ताव उनके द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अप्रैल 2012), कई अनुस्मारक प्रेषित करने के बाद भी शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

3.3 असावधानी/नियंत्रण की कमी

सरकार की यह बाध्यता है कि वह लोगों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में जीवन शैली, अवस्थापनाओं के विकास और उच्चीकरण, लोक सेवा इत्यादि की गुणवत्ता में सुधार करे। फिर भी, लेखापरीक्षा के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आये जिसमें लोक सम्पत्तियों को बनाने हेतु सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशियों का उपभोग नहीं किया गया था अथवा अवरुद्ध रखा गया था या फिर इसका कारण अलाभकारी अनुत्पादक व्यय, प्रशासनिक नियंत्रण की कमी और असावधानी तथा ठोस निर्णयों का विभिन्न स्तरों पर अभाव रहना था जिनमें से कुछ प्रकरण नीचे दिये जा रहे हैं ।

पशुपालन विभाग

3.3.1 विवादित भूमि की खरीद पर अलाभकारी व्यय

जनपद गौतम बुद्ध नगर में पशु पॉलीक्लीनिक हेतु विवादित भूमि की खरीद पर किया गया ₹ 9.56 करोड़ का व्यय अलाभकारी सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त, चार वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी पशु पॉलीक्लीनिक स्थापित करने का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

जनपद–गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर में एक पशु पॉलीक्लीनिक को क्षेत्र का परामर्श केन्द्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा निर्माण कार्यों (मुख्य भवन, आवासीय सुविधा आदि) हेतु ₹ 2.59 करोड़ का अनुमोदन किया गया (मार्च 2008)। निर्माण कार्य जुलाई 2012 (संशोधित) तक पूर्ण किये जाने हेतु निर्माण एवं परिकल्प सेवायें, उत्तर प्रदेश जल निगम को प्रदान (फरवरी 2011) किया गया था।

[81] बहराईच, देवरिया, फतेहपुर, गोरखपुर, हरदोई, मिर्जापुर, और सुल्तानपुर।

निदेशक, पशु पालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (निदेशक) के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया (अप्रैल 2012) कि पशु पॉलीक्लीनिक के लिए भूमि उपलब्ध न होते हुए भी शासन द्वारा उपरोक्त धनराशि अनुमोदित की गई (मार्च 2008) तथा उस धनराशि को पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा के वैयक्तिक लेखा खाता में जमा किया गया (मार्च 2008)। अग्रेतर, शासन द्वारा जारी अनुदेशानुसार (जुलाई 2008) ग्रेटर नोयडा ने ₹ 9.56 करोड़[82] की कुल लागत पर पशु पॉलीक्लीनिक की स्थापना हेतु एक हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई (मार्च 2011)। उक्त भूमि का सम्पर्क मार्ग विवादास्पद था। शासन ने तथापि निर्माण स्थल का प्रभावी सत्यापन किए बिना ग्रेटर नोएडा को लागत का भुगतान[83] कर (नवम्बर 2010 से मई 2011) भूमि का अधिग्रहण (जून 2011) किया तथा ग्रेटर नोएडा द्वारा दिये गये इस आश्वासन (जनवरी 2012) पर कि सम्पर्क मार्ग की व्यवस्था शीघ्र ही कर ली जाएगी, भवन निर्माण कार्य के लिए भूमि उत्तर प्रदेश जल निगम को स्थानांतरित (जून 2011) कर दिया। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा ₹ 4.76 करोड़ का पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत (मार्च 2011) किया गया जिसमें से ₹ 4.63 करोड[84] शासन द्वारा माह सितम्बर 2011 में अनुमोदित किया था। तब तक, ₹ 2.59 करोड़ की धनराशि जो शासन द्वारा मार्च 2008 में स्वीकृत की गई थी तथा वैयक्तिक लेखा खाता में रखी रही, को विभागीय प्राप्ति शीर्ष[85] के अंतर्गत शासकीय खाते में जमा (जुलाई 2011) किया गया। शासन द्वारा पुनः अगस्त 2011 में ₹ 3.82 करोड़ (₹ 4.63 करोड़ का पुनरीक्षित अनुमान के सापेक्ष) की धनराशि स्वीकृत की गयी एवं उसमें से ₹ 1.91 करोड़ की धनराशि निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम को अवमुक्त की गयी। हालांकि, शासन द्वारा कई अनुस्मारक[86] निर्गत करने के पश्चात् भी ग्रेटर नोएडा द्वारा उक्त भूमि हेतु सम्पर्क मार्ग की व्यवस्था नहीं किये जाने के कारण निर्माण कार्य फरवरी 2013 तक प्रारम्भ नहीं हुआ। अंततः, शासन ने निदेशक, पशुपालन विभाग को ₹ 1.91 करोड़ की धनराशि समर्पित किये जाने का निर्देश (मार्च 2012) दिया जिसे निदेशक ने पुनः प्राप्ति शीर्ष[87] के अंतर्गत जमा (मार्च 2012) कर दिया।

अतः, अविवादित भूमि उपलब्ध कराने में शासकीय विफलता के कारण इसके क्रय पर किया गया ₹ 9.56 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। इसके अतिरिक्त, पशु पॉलीक्लीनिक स्थापित करने का उद्देश्य चार वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी पूरा नहीं हो पाया। अग्रेतर, वर्ष 2011–12 के लिए शासन के प्राप्ति शीर्ष में ₹ 3.50 करोड़ की धनराशि का जमा होना आधिक्य व्यय तथा करेत्तर राजस्व को दर्शाता है।

शासन का उत्तर अप्राप्त (जनवरी 2013) था। तथापि, चर्चा (फरवरी 2013) के समय शासन द्वारा तथ्यों एवं आँकड़ों का पुष्टि की गयी ।

[82]प्रीमियम : ₹ 7.50 करोड़ (₹ 7500 प्रति वर्ग मी0 की दर से) और पट्टा भाड़ा : ₹ 2.06 करोड़ (प्रीमियम का 27.50 प्रतिशत)।

[83]नवम्बर 2010: ₹ 556 लाख; मार्च 2011: ₹ 225.89 लाख; मई 2011: ₹ 174.36 लाख।

[84]मुख्य भवन : ₹ 243.89 लाख, आवासीय भवन : ₹ 134.63 लाख, वाह्य क्षेत्र के विकास : ₹ 41.26 लाख, विद्युत संयोजन एवं वर्षा जल का संचयन : ₹10.00 लाख तथा मजदूरी उपकर एवं सैंटेज चार्जेज: ₹ 33.84 लाख।

[85]0403 पशुपालन–राजस्व प्राप्तियाँ –800–अन्य प्राप्तियाँ–99–विविध प्राप्तियाँ।

[86]पत्र संख्या 825 दिनांक 22 नवम्बर 2011, पत्र संख्या 1317 दिनांक 08 दिसम्बर 2012, पत्र संख्या 1180 दिनांक 27 जनवरी 2012, पत्र संख्या 1044 दिनांक 18 फरवरी 2012 एवं पत्र संख्या 510 दिनांक 24 फरवरी 2012

[87]0403 पशुपालन–राजस्व प्राप्तियाँ–800–अन्य प्राप्तियाँ–99–विविध प्राप्तियाँ।

सामान्य प्रशासन विभाग

3.3.2 पट्टे किराये पर परिहार्य व्यय

सामान्य प्रशासन तथा राज्य सम्पत्ति विभाग के मध्य समन्वय के अभाव के कारण जनवरी 2001 से जनवरी 2013 के मध्य भवन के पट्टे के किराये ₹ 5.19 करोड़ का परिहार्य व्यय।

शासन के राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन विशिष्ट आगन्तुकों को स्थान सुलभ कराने हेतु नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश सदन स्थित है। साथ ही शासन के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भारत सरकार से समन्वय हेतु एक निजी भवन[88] में (1992 से) मासिक किराये के आधार पर[89] स्थानिक आयुक्त का कार्यालय संचालित था।

कार्यालय स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर 2010) में यह पाया गया कि आयुक्त द्वारा अपना कार्यालय उत्तर प्रदेश सदन के भवन में स्थानांतरित करने हेतु शासन को एक प्रस्ताव इस आधार पर प्रेषित (दिसम्बर 1998) किया गया कि दूसरे प्रदेशों के स्थानिक आयुक्तों के कार्यालय उनके स्वयं के प्रशासनिक भवनों में संचालित हो रहे थे और इसलिए भी कि उत्तर प्रदेश सदन में पर्याप्त स्थान उपलब्ध था। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के मुख्य वास्तुविद द्वारा यह अवगत (नवम्बर 1998) कराये जाने कि उत्तर प्रदेश सदन के प्रथम तथा चतुर्थ तल पर कार्यालय स्थानान्तरित किया जा सकता है, के उपरान्त ही उक्त प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव पर कार्यवाही करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने आयुक्त को जून 1999 तक कार्यालय को उत्तर प्रदेश सदन में स्थानांतरित करने का निर्देश (मार्च 1999) दिया। राज्य सम्पत्ति विभाग[90] द्वारा इस हेतु प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की (मार्च 1999) गयी थी ।

उपरोक्त निर्देश एवं आदेश के उपरान्त भी आयुक्त द्वारा बिना किसी अभिलिखित कारण के कार्यालय नियत अवधि में (जून 1999 तक) स्थानांतरित नही किया गया तथा सामान्य प्रशासन विभाग से कार्यालय स्थानांतरण की समय सीमा अक्टूबर 1999 तक बढ़ाने का अनुरोध (जुलाई 1999) किया गया। यद्यपि विलम्ब हो गया था तथापि समय सीमा (नवम्बर 1999) जनवरी 2000 तक बढ़ा दी गयी। इस बढ़ायी गयी समय सीमा में भी आयुक्त द्वारा कार्यालय स्थानांतरित नही किया गया तथा राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा बिना कोई कारण बताये इसकी स्वीकृति (मार्च 1999) को निरस्त (फरवरी 2000) कर दिया गया। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश सदन में स्थान उपलब्ध होते हुए कार्यालय एक निजी किराये के भवन में जनवरी 2013 तक संचालित था, जोकि शासन के अनिर्णय तथा सामान्य प्रशासन व राज्य सम्पत्ति विभाग के मध्य समन्वय के अभाव का द्योतक है। शासन द्वारा जनवरी 2001 से जनवरी 2013 तक पट्टा किराये के रूप में ₹ 5.19 करोड़[91] का भुगतान किया गया जिससे अन्यथा बचा जा सकता था।

चर्चा के दौरान (जनवरी 2013) शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं ₹ 5.19 करोड़ के व्यय को इस आधार पर उचित ठहराया कि स्थानिक आयुक्त कार्यालय अन्य केन्द्रीय कार्यालयों के समीप स्थित था एवं एक नई अवस्थापना का सृजन आर्थिक

[88] 3,612 वर्ग फिट।

[89] प्रारम्भ में ₹ 27 प्रतिमाह, प्रतिवर्ग फुट प्रत्येक तीन वर्ष के उपरांत 20 प्रतिशत वृद्धि के साथ।

[90] उत्तर प्रदेश सदन सम्पत्ति विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में है।

[91] जनवरी 2001 से मार्च 2001 : ₹ 6.92 लाख, 2001–2002 : ₹ 27.68 लाख, 2002–03 : ₹ 27.68 लाख, 2003–04 : ₹ 30.68 लाख, 2004–05 : ₹ 28.26 लाख, 2005–06 : ₹ 28.26 लाख, 2006–07 : ₹ 28.26 लाख, 2007–08 : ₹ 28.26 लाख, 2008–09 : ₹ 56.87 लाख, 2009–10 : ₹ 53.14 लाख, अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2010 : ₹ 44.72 लाख, जनवरी 2011 से जनवरी 2013: ₹ 141.08 लाख।

दृष्टि से उचित नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नही था क्योंकि कार्यालय का स्थानान्तरण पहले से ही अवस्थित शासकीय भवन में किया जाना था जहाँ व्यय करके कोई नई अवस्थापना नहीं की जानी थी। इसके अतिरिक्त, स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली ने प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को सम्बोधित पत्र (अप्रैल 2012) में यह बताया कि सामान्य सुविधाओं एवं पार्किंग पर परिहार्य व्यय किया जा रहा था जो मितव्ययिता की दृष्टि से अनुप्रयुक्त था। यह भी बताया कि अन्य राज्यों की भाँति स्थानिक आयुक्त का कार्यालय गेस्ट हाउस में स्थानांतरित किया जाना चाहिए था एवं सुझाव दिया कि यह कार्य मितव्ययी रहेगा तथा रख–रखाव व्यय की बचत भी होगी।

अतः शासन के अनिर्णय तथा सामान्य प्रशासन एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के मध्य समन्वयाभाव से स्थानिक आयुक्त का कार्यालय जनवरी 2013 तक एक निजी भवन में संचालित था जिससे ₹ 5.19 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

यह प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अप्रैल 2012), शासन को कई बार[92] संदर्भित करने के बाद भी फरवरी 2013 तक उत्तर प्रतीक्षित है ।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.3.3 प्रसूति केन्द्र के निर्माण पर निष्फल व्यय

जनपद अम्बेडकर नगर के जलालपुर में स्थानीय लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 20 शैय्यायुक्त प्रसूति केन्द्र के निर्माण पर किया गया ₹ 1.41 करोड़ का व्यय पदों की स्वीकृति न होने तथा आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदानों के अवमुक्त न किये जाने के कारण अलाभकारी रहा।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गयी घोषणा (फरवरी 2005) के अनुपालन में शासन ने जनपद अम्बेडकर नगर के जलालपुर में 20 शैय्यायुक्त एक नये प्रसूति केन्द्र के निर्माण हेतु ₹ 1.21 करोड़ की स्वीकृति प्रदान (फरवरी 2006) की। इसका उद्देश्य लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच का विस्तार करना था। निर्माण कार्य जिसमें मुख्य भवन, आवासीय भवन, चहारदीवारी आदि सम्मिलित थे, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को सितम्बर 2009 तक पूर्ण किये जाने हेतु सौंपा गया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद अम्बेडकर नगर के अभिलेखों की जाँच (मार्च 2011) में यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने अक्टूबर 2006 में कार्य प्रारम्भ किया। कुछ लघु कार्यो को छोड़कर, कार्य पूर्ण (अगस्त 2008) होने पर इसे अगस्त 2009 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हस्तगत कर दिया गया। निर्माण कार्य पर कुल ₹ 1.21 करोड़ व्यय हुआ तथापि, लघु कार्य जैसे गेट सहित चहारदीवारी, मुख्य नाली, सम्पर्क मार्ग तथा विद्युत संयोजन का कार्य अपूर्ण थे। विभाग द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन (अप्रैल 2010) के अनुसार इन कार्यो को पूर्ण करने के लिए शासन द्वारा पुनः ₹ 20.47 लाख स्वीकृत किया (जुलाई 2010) गया। गेट सहित चहारदीवारी को छोड़कर ये समस्त कार्य भी पूर्ण हो गये। अभिलेखों से यह भी स्पष्ट हुआ कि भवनों आदि को हस्तगत करने के डेढ़ वर्ष पश्चात मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ को मेडिकल तथा पैरामेडिकल

[92]पत्र संख्या :अर्द्ध0शसकीय पत्र सं0 रिपोर्ट (सिविल)/639 दिनांक 10 दिसम्बर 2012 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को सम्बोधित, रिपोर्ट (सिविल)/एआर 2011–12/642 दिनांक 12 दिसम्बर 2012, 279 दिनांक 18 फरवरी 2013 तथा एसएस–IV /डीपी–2011–12/227 दिनांक 25 फरवरी 2013

कर्मचारियों के पद सृजन तथा प्रसूति केन्द्र के संचालन हेतु ₹ 15 लाख[93] वार्षिक के आवर्ती अनुदान तथा ₹ 44.50 लाख[94] एक बार के अनावर्ती अनुदान हेतु भी प्रस्ताव (फरवरी 2011) प्रस्तुत किया। तथापि, प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद फरवरी 2013 तक न तो पद और न ही अनुदान स्वीकृत हुए थे।

इस प्रकार, मेडिकल एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति तथा औषधियों, भोजन, लेखन–सामग्री आदि व्ययों की पूर्ति के लिए आवर्ती अनुदानों तथा आपरेशन थिएटर की स्थापना के लिए अनावर्ती अनुदानों की स्वीकृति में विलम्ब के कारण 20 शैय्यायुक्त प्रसूति केन्द्र, इसके पूर्ण होने तथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम से हस्तगत (अगस्त 2009) हो जाने के तीन वर्षो से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद क्रियाशील नहीं हो पाया था पुनः इसके कारण, इस पर किया गया ₹ 1.41 करोड़ का व्यय अलाभकारी था। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच का विस्तार किये जाने का उद्देश्य भी विफल रहा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद–अम्बेडकर नगर ने उत्तर में यह बताया (मार्च 2011) कि मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ की स्वीकृति तथा आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदानों की प्राप्ति के पश्चात प्रसूति केन्द्र तत्काल क्रियाशील कर दिया जायेगा। इस प्रकार, प्रसूति केन्द्र के सिविल कार्यो के पूर्ण किये जाने को मेडिकल एवं पैरामेडिकल पदों तथा आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदानों की स्वीकृति की प्रक्रियाँ, जो कि प्रसूति केन्द्र को क्रियाशील किये जाने के लिए आवश्यक थी, से सह–सम्बद्ध नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच का विस्तार किये जाने का उद्देश्य पूर्ण नही हो पाया।

प्रकरण शासन को संदर्भित (अप्रैल 2012) किया गया था। कई अनुस्मारक प्रेषित करने बाद भी फरवरी 2013 तक शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

3.3.4 चिकित्सालय भवन के निर्माण पर अलाभकारी व्यय

जनपद अलीगढ़ के अतरौली में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सालय भवन एवं मेडिकल तथा पैरामेडिकल कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन के निर्माण पर वर्ष 2006–13 (जनवरी 2013) के मध्य किया गया ₹ 5.79 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, शासन द्वारा अलीगढ़ जनपद के अतरौली में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को ₹ 7.55 करोड़ की लागत से अतिरिक्त 70 शैय्या का निर्माण कर, 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय के रूप में उच्चीकरण एवं मेडिकल एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन के निर्माण का निर्णय (जनवरी 2004)लिया गया। निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को मार्च 2009 तक पूरा किए जाने हेतु सौपा (जनवरी 2004)गया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अलीगढ़ के अभिलेखों की जाँच (मई 2011) में यह पाया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अलीगढ़ ने महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

[93]वार्षिक आवर्ती व्यय (अ) औषधि ₹ 10 लाख (ब) खुराक ₹ 1.50 लाख (स) विद्युत एवं जल ₹ 2 लाख (द) लेखन सामग्री एवं कार्यालय व्यय ₹ 1.50 लाख, योग ₹ 15 लाख।

[94]अनावर्ती व्यय (अ) 20 सुसज्जित बिस्तरों ₹ 5 लाख (ब) ऑपरेशन थिएटर और चिकित्सा सर्जिकल उपकरणों ₹ 15 लाख (स) गाइनोलोजिकल उपकरणों ₹ 2.50 लाख (द) लकड़ी का सामान ₹ 2.50 लाख (य) जनरेटर ₹ 3.50 लाख (र) एम्बुलेंस ₹ 0.6 लाख (ल) एक्स–रे और अल्ट्रासाउण्ड मशीन ₹ 10 लाख, योग ₹ 44.50 लाख।

को सूचित किया (दिसम्बर 2003) कि 0.854 एकड़ भूमि[95] अलीगढ़ जनपद के अतरौली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र[96] के परिसर में उपलब्ध थी। यद्यपि अतिरिक्त 70 शैय्या के निर्माण हेतु 1.96 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी। इस प्रकार उपलब्ध भूमि अपर्याप्त थी। इसके बावजूद, जनवरी 2004 में शासन ने पूर्वोक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 100 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय के रूप में उच्चीकरण का निर्णय भूमि की पर्याप्तता सुनिश्चित किए बिना ही लिया गया। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव (जुलाई 2006) पर शासन द्वारा सितम्बर 2006 में निर्माण कार्य हेतु ₹ 49.49 लाख संस्वीकृत किये गए, यद्यपि व्यय–वित्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट (जुलाई 2006) में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में उपलब्ध भूमि को (क्षेत्रफल के आधार पर) 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय हेतु अपर्याप्त दर्शाया गया था । उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने अप्रैल 2007 में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया। सितम्बर 2007 में शासन द्वारा चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि ₹ 7.06 करोड़ स्वीकृत किया गया। तथापि उपलब्ध 0.854 एकड़ भूमि पर जनवरी 2013 तक 70 अतिरिक्त शैय्या हेतु मात्र चिकित्सालय भवन निर्माणाधीन था। मेडिकल एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन निर्माण, भूमि की अनुपलब्धता के कारण जनवरी 2013 तक प्रारम्भ नहीं किया गया था। धनराशि का उपयोग न होने के कारण अक्टूबर 2011 में ₹ 1.72 करोड़ शासकीय खाते में वापस[97] किया गया। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें द्वारा प्रस्ताव दिए जाने पर शासन ने अक्टूबर 2012 में ₹ 1.72 करोड़ में से ₹ 1.34 करोड़ पुनः स्वीकृत किए। जनवरी 2013 तक, भवन निर्माण पर ₹ 5.79 करोड़ व्यय हो चुका था एवं ₹ 1.38 करोड. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के पास अवशेष था।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उत्तर में आवासीय भवनों का निर्माण न होने का कारण भूमि की अनुपलब्धता बताया (मई 2011)। उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि भूमि उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना धनराशि अवमुक्त की गयी एवं निर्माण आरम्भ किया गया था।

इस प्रकार, भूमि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना अलीगढ़ जनपद में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 100 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय के रूप में उच्चीकरण करने के शासकीय निर्णय के कारण 70 अतिरिक्त शैय्यों हेतु चिकित्सालय भवन के निर्माण पर किया गया ₹ 5.79 करोड़ व्यय[98] निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त उसके पूरा होने के नियत माह के चार वर्ष बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में वृद्धि करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ ।

यह प्रकरण शासन को संदर्भित (अप्रैल 2012) किया गया; शासन को कई बार[99] संदर्भित करने के बाद भी उत्तर फरवरी 2013 तक प्रतीक्षित है।

[95]30X10 मीटर और 79 X40 मीटर माप के दो प्लाट। 4046.856 वर्ग मीटर बराबर एक एकड़।

[96]30 शैय्यायुक्त चिकित्सालय।

[97]डी 8443000 दिनांक 17 अक्टूबर 2011

[98]2006–07 ₹ 1.55 लाख; 2007–08 ₹ 7.45 लाख; 2008–09 ₹ 57.50 लाख; 2009–10 ₹ 132.50 लाख; 2010–11 ₹ 153 लाख; 2011–12 ₹ 170 लाख; एवं 2012–13 ₹ 57 लाख (जनवरी 2013 तक)।

[99]पत्र संख्या :अर्द्ध0शसकीय पत्र संख्या रिपोर्ट (सिविल)/639 दिनांक 10 दिसम्बर 2012 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को सम्बोधित, रिपोर्ट (सिविल)/एआर 2011–12/642 दिनांक 12 दिसम्बर 2012, 279 दिनांक 18 फरवरी 2013 तथा एसएस–IV / डीपी–2011–12/227 दिनांक 25 फरवरी 2013

लोक निर्माण विभाग

3.3.5 सेतु एवं पहुँच मार्ग के निर्माण पर अलाभकारी व्यय

सेतु एवं संपर्क मार्ग के निर्माण कार्य पर ₹ 3.36 करोड़ का अलाभकारी व्यय

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–6 के प्रस्तर 375(अ) के अनुसार किसी परियोजना पर कार्य प्रारम्भ किए जाने के पूर्व समुचित व विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना चाहिए एवं अनुमोदित डिजाइन के अनुसार कार्य संपादन किया जाना चाहिए।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग, लखीमपुर खीरी की जाँच (दिसम्बर 2010) एवं एकत्रित सूचनाओं (जून 2012) से यह विदित हुआ कि नोवापुर मुड़िया–नकहा पहुँच मार्ग के किमी 6 में चौका नदी पर एक सेतु (लम्बाई 79.40 मीटर), 400 मीटर पहुँच मार्ग, 7.200 किमी अतिरिक्त पहुँच मार्ग के लिए ₹ 3.47 करोड़ (सेतु ₹ 1.47 करोड एवं पहुँच मार्गों: ₹ दो करोड़) की स्वीकृति नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि–14 के अधीन प्रदान की गयी थी। शासन द्वारा (अगस्त 2008) पुल निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ को एवं पहुँच मार्गों का कार्य अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड–1, लखीमपुर खीरी को सौंपा गया था। दोनों इकाईयाँ प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में थीं। दोनों कार्यदायी इकाईयों के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति द्वारा साइट सर्वे (अगस्त 2008) किया गया जिसमें नदी के बहाव सीधे बहने और मुड़िया नकहा (पगडण्डी) व नोवापुर के मध्य प्रचलित मार्ग के साथ पुल एवं पहुँच मार्ग संरेखण को चयनित किया गया। पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग निर्माण की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता मध्य क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रदान की गयी (फरवरी 2009) थी। पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु ₹ 1.29 करोड़ की लागत का एक अनुबंध[100] गठित किया गया (सितम्बर 2010)।

अग्रेतर, मासिक समीक्षा बैठक के अनुसार, सेतु निर्माण का कार्य सहमत संरेखण के अनुसार नहीं था, जिसके अनुरूप जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी ने स्थल निरीक्षण हेतु अधिकारियों[101] की एक समिति गठित (मार्च 2009) की। समिति ने यह पाया कि सेतु का निर्माण चयनित अपस्ट्रीम स्थल एवं संरेखण से 15–20 मीटर दूर किया जा रहा था। जिलाधिकारी ने प्रकरण प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग (मार्च 2009) को सूचित किया एवं सेतु निर्माण कार्य रोकने हेतु अनुरोध किया, किन्तु उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड ने जुलाई 2011 तक निर्माण पूर्ण होने तक कार्य जारी रखा। ₹ 1.36 करोड की धनराशि पहुँच मार्गों के निर्माण पर व्यय की गयी थी (जून 2011) एवं उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा जून 2012 तक पुल के निर्माण पर ₹ दो करोड़ की धनराशि व्यय की गयी थी। यद्यपि, नोवापुर की तरफ जुलाई 2010 में पहुँच मार्ग बह जाने एवं नदी के सेतु से दूर हट जाने के कारण सेतु अनुपयोगी ही रहा था। अग्रेत्तर, सितम्बर 2011 में नकहा की तरफ भी नदी द्वारा पहुँच मार्ग को बहा ले जाने के परिणामस्वरूप दोनों तरफ के पहुँच मार्गों के अभाव में सेतु अनुपयोगी हो गया था। इस प्रकार, सेतु व पहुँच मार्गों के संरेखण के मुद्दे का हल न होने पाने के कारण सेतु व पहुँच मार्गों के निर्माण पर व्यय की गयी धनराशि ₹ 3.36 करोड़ अलाभकारी रहा।

[100] 1/एसई/दिनांक 09–06–2009

[101] उपजिलाधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता, आवास विकास परिषद, उपपरियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखीमपुर खीरी।

इसको इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता द्वारा उत्तर में यह बताया गया (दिसम्बर 2010) कि संरेखण के प्रकरण के समाधान हेतु प्रमुख अभियंता (सेतु) द्वारा मुख्य अभियंता, मध्य क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की अध्यक्षता में संरेखण के हल के लिए एक समिति गठित की गयी थी। संरेखण का तथ्य दोनों इकाईयों के संज्ञान में मार्च 2009 से होते हुए भी दोनों इकाईयों ने बिना संरेखण की समस्या सुलझाये कार्यों को कराया जाना जारी रखा जिससे दोनों तरफ पहुँच मार्गों के अभाव में सेतु अनुपयोगी एवं एकल संरचना के रूप में जनवरी 2013 तक खड़ा था। गठित समिति (दिसम्बर 2010) ने भी अपनी रिपोर्ट (फरवरी 2011) में सुझाव दिया कि नदी की धारा को निर्मित सेतु के नीचे लाने के लिए एक गाइड बन्ध का प्रावधान किया जाना चाहिए तथा उप परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड को अचयनित संरेखण पर पुल निर्माण करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।

चर्चा के दौरान (जनवरी 2013) शासन ने तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार किया तथा उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को 10 दिनों में उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन दिया, जो प्रतीक्षित (मार्च 2013) था।

समाज कल्याण विभाग

3.3.6 छात्रावासों के निर्माण पर अलाभकारी व्यय

शासन द्वारा कार्यवाही न करने अथवा विलम्बित कार्यवाही के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं हेतु असित इण्टर कालेज, इटावा तथा अभियान्त्रिकी एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद में दो छात्रावासों के निर्माण पर किया गया ₹ 1.59 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। इसके अतिरिक्त, लक्षित लाभार्थियों (छात्राओं) को निःशुल्क छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई।

शासन ने असित इंटर कालेज, इटावा एवं अभियान्त्रिकी एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद, प्रत्येक में 100 छात्राओं के लिए एक–एक छात्रावास[102] के निर्माण की स्वीकृति दी (लागतः ₹ 1.30 करोड़[103])। इन छात्रावासों को शैक्षणिक सत्र 2006–07 (जुलाई 2006) के प्रारम्भ से संचालित किया जाना था। निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम को मार्च 2006 तक पूर्ण करने हेतु सौंपा[104] गया था। इन छात्रावासों का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराना था ।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद (जनवरी 2011) एवं इटावा (जनवरी 2010) के अभिलेखों की जाँच एवं तत्पश्चात संकलित सूचनाओं से यह संज्ञान में आया कि सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य हेतु उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम को अपेक्षित भूमि[105] उपलब्ध कराई गई तथा ₹ 1.30 करोड़ की धनराशि भी अवमुक्त[106] की गयी। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम द्वारा फरवरी

[102]इटावाः मार्च 2003 एवं इलाहाबादः दिसम्बर 2004।
[103]इटावा : ₹ 65.24 लाख; इलाहाबाद : ₹ 65.24 लाख।
[104]इटावाः मार्च 2003 एवं इलाहाबादः दिसम्बर 2004
[105]इटावाः फरवरी 2005 एवं इलाहाबादः जनवरी 2005
[106]जनवरी 2005 में इटावाः ₹ 65.24 लाख तथा फरवरी 2005 में इलाहाबादः ₹ 65.24 लाख।

2005 में निर्माण कार्य आरम्भ किये गये तथा ₹ 1.30 करोड़ की धनराशि में निर्माण कार्य को पूर्ण[107] करने के पश्चात भवन विभाग को हस्तगत[108] किया गया।

छात्रावास भवन के हस्तान्तरण होने के छः वर्ष पश्चात भी जनपद इटावा में शासन द्वारा अनुमोदन के पश्चात भी न तो स्टाफ की तैनाती हुई और न ही विद्युत संयोजन, साज–सज्जा सामग्री आदि के लिये धनराशि उपलब्ध करायी गयी, जो शासन की निष्क्रियता को दर्शाता है। इलाहाबाद में, छात्रावास भवन के हस्तान्तरण के तीन वर्ष पश्चात, एक अधीक्षक की तैनाती (सितम्बर 2010) हुई जिनके वेतन एवं भत्तों पर सितम्बर 2010 से जून 2012 की अवधि में ₹ 4.20 लाख की धनराशि संवितरित की गयी थी। विभाग द्वारा ₹ 15 लाख की लागत की साज–सज्जा सामग्री[109] भी आपूर्ति[110] की गयी जो छात्रावास में अप्रयुक्त पड़ी रही। यद्यपि, अन्य अपेक्षित कर्मचारी जैसे चतुर्थ श्रेणी, रसोइया, सफाई कर्मचारी आदि की तैनाती नहीं हुई थी। शासन द्वारा विद्युत संयोजन हेतु शहरी विद्युत वितरण खण्ड, इलाहाबाद को भी ₹ 10.02 लाख का भुगतान किया गया (अगस्त 2011)। किन्तु, विद्युत संयोजन खण्ड द्वारा प्राक्कलन जमा करने व निधियों का प्रावधान करने में विलम्ब के कारण सात माह पश्चात मार्च 2012 में प्राप्त हुआ। छात्रावास को जुलाई 2012 से आंशिक रूप से संचालित किया गया।

अतः भवनों के हस्तान्तरण के उपरान्त, कार्यवाही न किये जाने के कारण असित इण्टर कालेज, इटावा में पाँच शैक्षणिक सत्रों की समाप्ति के पश्चात भी छात्रावास संचालित नहीं हो सका। इलाहाबाद में अभियान्त्रिकी एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान का छात्रावास आंशिक रूप से ही संचालित (जुलाई 2012) हो सका। अतः ₹ 1.59 करोड़[111] का व्यय अलाभकारी रहा। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क छात्रावास सुविधा उपलब्ध करने का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

शासन का उत्तर अप्राप्त था (जनवरी 2013)। यद्यपि, शासन ने चर्चा (फरवरी 2013) के दौरान तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार किया और बताया कि इलाहाबाद में छात्रावास के संचालन में विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इटावा के छात्रावास के संदर्भ में, शासन ने विभाग के उप निदेशक को प्रकरण पर व्यक्तिगत जाँच एवं 15 दिन के अंदर उसके संचालन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कार्यवाही प्रतीक्षित थी।

शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग

3.3.7 आवासीय इकाईयों के निर्माण पर निष्फल व्यय

लाभार्थियों से निर्धारित अंशदान की वसूली न किये जाने के कारण जनपद औरैया में 1,092 आवासीय इकाईयों (पूर्ण : 576; अपूर्ण : 516) के निर्माण पर ₹ 22.68 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, औरैया के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में यह संज्ञान में आया (नवम्बर 2011) कि भारत सरकार ने समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास परियोजना वर्ष 2005 में प्रारम्भ की। उपर्युक्त योजना

[107] इटावा: मार्च 2007 तथा इलाहाबाद: फरवरी 2007।
[108] इटावा: जुलाई 2007 तथा इलाहाबाद: जुलाई 2007।
[109] जनवरी 2011 : 100 कुर्सियाँ; 100 मेजे, 100 वुडेन बेड एवं फरवरी 2012 : 10 डाइनिंग टेबल; 80 डाइनिंग कुर्सियाँ एवं आठ पुस्तकालय आलमारी।
[110] जनवरी एवं फरवरी 2012
[111] ₹ 1.30 करोड़ + ₹ 0.04 करोड़ + ₹ 0.15 करोड़ + ₹ 0.10 करोड़ = ₹ 1.59 करोड़।

का उद्देश्य राज्य में मलिन बस्ती वासियों को आवास[112] उपलब्ध कराना था। आवासीय इकाईयों की निर्माण लागत का न्यूनतम बारह प्रतिशत (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक विकलांग के लिए दस प्रतिशत) परियोजना प्रस्तुत करने से पूर्व लाभार्थियों से वसूल किया जाना था। लाभार्थियों से निर्धारित अंश लिये बिना (₹ 1.08 करोड़[113]) परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, औरैया ने समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास परियोजना, योजना के अन्तर्गत छः नगर पंचायतों[114] में ₹ 27.62[115] करोड़ लागत से 1,092 आवासीय इकाईयों के निर्माण की विस्तृत परियोजना आख्या राज्य नगरीय विकास अभिकरण को मार्च 2008 में प्रस्तुत किया । विस्तृत परियोजना आख्या के प्रस्तुतीकरण के तीन माह पश्चात् राज्य सरकार ने निराश्रित विधवाओं, विकलांगों तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी गरीब नागरिकों को भी 924 आवास (औरैया में) निशुल्क उपलब्ध कराने हेतु मान्यवर कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना प्रारम्भ की। शासन ने दोनों योजनाओं में तारतम्य स्थापित किए बगैर विस्तृत परियोजना आख्या की स्वीकृति (मार्च 2008), परियोजना अधिकारी के इस आश्वासन पर दी कि परियोजनाओं को स्वीकृत किये जाने के बाद लाभार्थियों से अंशदान लिया जायेगा (जनवरी 2009; दो परियोजनायें एवं जून 2009; चार परियोजनायें)। शासन ने निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को आबंटित किया (फरवरी 2009; दो परियोजनायें तथा जुलाई 2009; चार परियोजनायें), जिसे मार्च 2011 तक पूर्ण किया जाना था। राज्य नगरीय विकास अभिकरण ने छः नगर पंचायतो हेतु[116] उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को ₹ 23.68[117] करोड़ अवमुक्त किया जिसने विभिन्न नगर पंचायतों में मई से अगस्त 2009 के मध्य कार्य प्रारम्भ किया किन्तु दिसम्बर 2012 तक मात्र 576 आवासीय इकाईयों का निर्माण कार्य पूर्ण किया। उपरोक्त 576 आवास दिसम्बर 2012 तक रिक्त पड़े थे क्योंकि राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत निःशुल्क आवास प्राप्त होने की प्रत्याशा में लाभार्थी अपना अंशदान जमा करने के इच्छुक नहीं थे[118]। शेष 516 इकाईयाँ अभी भी अपूर्ण थीं। इन 1092 आवासीय इकाईयों पर दिसम्बर 2012 तक किया गया व्यय ₹ 22.68[119] करोड़ निष्फल रहा। निःशुल्क आवास प्रदान करने की अन्य योजना क्रियान्वित होने के पश्चात् इन आवासीय इकाईयों के आबंटन की सम्भावना भी क्षीण प्रतीत हो रही है।

शासन ने उत्तर में बताया कि (दिसम्बर 2012) जिन मलिन बस्तियों में आवासीय इकाईयाँ तैयार थी वहाँ लाभार्थियों से अंशदान वसूली हेतु कैम्प लगाए जा रहे थे। शासन ने यह भी बताया (दिसम्बर 2012) कि अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की लागत बढ़ गयी है, अतः संशोधित अनुमान तैयार किये जा रहे है। चर्चा के समय (दिसम्बर 2012) भी शासन ने उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि की। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि लाभार्थियों से अंशदान कार्य आरम्भ से पूर्व ही एकत्र कर लिया जाता जैसा कि परियोजना में अपेक्षित था तो यह बहुत सम्भावित था कि लाभार्थियों ने आवासीय इकाई ले ली होती ।

[112]आधार भूत सुविधाओं यथा सड़क, सीवर इत्यादि के साथ।

[113]नगर पंचायत–दिबियापुर, अछल्दा, बाबरपुर व फफूंद : 444 आवासीय इकाईयाँ ₹ 12,589 प्रति इकाई की दर से तथा बिदुना व भीखमपुरः 648 आवासीय इकाईयाँ ₹ 8,000 प्रति इकाई की दर से।

[114]बाबरपुर : 180 आवासीय इकाईयाँ लागत ₹ 4.88 करोड़, फफूंदः60 आवासीय इकाईयां लागत ₹1.50 करोड अछल्दा :132 आवासीय इकाईयां लागत ₹ 3.59 करोड़, दिबियापुरः 72 आवासीय इकाईयां लागत ₹1.75 करोड़, भीखमपुरः 48 आवासीय इकाईयां लागत ₹1.18 करोड़, बिदुना : 600 आवासीय इकाईयां लागत ₹14.73 करोड़।

[115]आवासीय इकाईयों की लागतः ₹ 13.68 करोड़ एवं आधारभूत सुविधाओं की लागत ₹ 13.94 करोड़।

[116]बाबरपुर ₹ 4.28 करोड़, फफूंद : ₹ 1.31 करोड़, अछल्दाः ₹ 3.15 करोड़, दिबियापुरः ₹ 76.35 लाख, भीखमपुरः ₹ 1.05 करोड़ एवं बिदुनाः ₹ 13.13 करोड़।

[117]2008–09 : ₹ 1.50 करोड़, 2009–10 : ₹ 14.66 करोड़, एवं 2010–11: ₹ 7.53 करोड़।

[118]दिसम्बर 2012 तक मात्र 13 लाभार्थियों ने अपना अंशदान जमा किया।

[119]आवासीय इकाईयों पर ₹ 19.81 करोड़ व आधारभूत सुविधाओं के विकास पर ₹ 2.87 करोड़।

3.4 सतत् और व्यापक अनियमितताएँ

यदि अनियमितताएँ वर्ष प्रति वर्ष होती रहती हैं तो वह सतत् अनियमितताएँ हैं । इसके सम्पूर्ण तंत्र में रहने के कारण यह व्यापक हो जाती है। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर भी बार–बार अनियमितताओं का होना प्रदर्शित करता है कि कार्यपालिका की तरफ से ढील बरती गयी तथा प्रभावी अनुश्रवण की कमी थी। यह संकलित रूप से नियमों एवं नियमन के पालन में इच्छापूर्वक विचलन को बढ़ावा देती है। परिणामस्वरूप प्रशासनिक ढाँचे को कमजोर करती है। लेखापरीक्षा में इंगित सतत् अनियमितताओं के प्रकरणों को नीचे दिया जा रहा है ।

लोक निर्माण विभाग

3.4.1 सेतु के निर्माण पर अलाभकारी व्यय

अनुचित स्थल चयन के कारण सेतु, पहुँच मार्ग एवं गाईड बन्धों के निर्माण पर ₹ 5.95 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। बिना पहुँच मार्ग के बारह वर्षों से अधिक समय से सेतु झूल रहा था।

शासन ने जिला बलरामपुर के कुन्दरीघाट में हरिहरगंज–ललीया मार्ग के किमी 3.436 में राप्ती नदी पर सेतु और इसके पहुँच मार्गों के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (मार्च 1998) प्रदान की।

शासन द्वारा ₹ 11.71 करोड़ के आगणन की स्वीकृति (दिसम्बर 1998) प्रदान की गयी तथा मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद ने मार्च 1999 में तकनीकी स्वीकृति प्रदान की। इसमें ₹ 3.35 करोड़ सेतु की लागत तथा ₹ 8.36 करोड़ पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्गों तथा गाईड बंधों का सुरक्षात्मक कार्यों की लागत शामिल थे जिससे जनपद बलरामपुर के हरिहरगंज–ललीया मार्ग के किमी 3.436 के राप्ती नदी के दोनो तरफ की जनता को आवागमन सम्पर्क उपलब्ध कराया जा सके।

यद्यपि कि, दोनो कार्य अर्थात् सेतु निर्माण एवं सिविल कार्य साथ–साथ किये जाने थे, तब भी लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्च 1999 में गाईड बंधों एवं पहुँच मार्गों से संबंधित कार्य उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा सेतु निर्माण का कार्य आरम्भ (फरवरी 1998) किये जाने के 13 माह बाद, आरम्भ किया गया। परिणामस्वरूप, जून 1999 (मानसून आरम्भ होने से पूर्व) तक ₹ 31.32 लाख की धनराशि से गाईड बंधों का केवल आंशिक निर्माण ही किया गया था। गाईड बंधों[120] के निर्माण में विलम्ब के कारण राप्ती नदी ने 1999 के मानसून सत्र में अपनी धारा बदल दी तथा गाईड बंधों एवं पहुँच मार्गों के आंशिक रूप से पूर्ण कार्यों को क्षति पहुँचाया था।

इस प्रकार, सेतु निर्माण कार्य के साथ ही गाईड बंधों एवं पहुँच मार्गों का कार्य न किये जाने से शासन को, आंशिक रूप से पूर्ण कार्यों के क्षतिग्रस्त होने, जो वर्ष 1999 में बह गये थे, के कारण हानि हुई। विभाग द्वारा ₹ 30 लाख की क्षति का आकलन (जनवरी 2008) किया गया था जो विगत पाँच वर्षों में और बढ़ गया होगा और बढ़ना अवश्यसंभावी था क्योंकि सुरक्षात्मक कार्य (गाइड बन्ध) अपूर्ण था (फरवरी 2013)। सेतु, गाईड बंधों एवं पहुँच मार्गों के निर्माण पर दिसम्बर 2012 तक ₹ 5.95 करोड़ (₹ 4.17 करोड़ + ₹ 1.78 करोड़) का किया व्यय इस प्रकार अलाभकारी था। इसके अतिरिक्त, शेष कार्यों की लागत जिसे जब भी किया जायेगा, और बढ़ जायेगी।

[120]नदी को उसके बहाव की ओर दिशा देने हेतु तटबन्धों की सुरक्षा एवं प्रशिक्षण।

प्रकरण 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ''अनौचित्यपूर्ण व्यय तथा धनराशि का अवरुद्ध होना'' (प्रस्तर–4.11) तथा पुनः मार्च 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ''विलम्ब के कारण सेतु एवं पहुँच मार्गों के निर्माण पर अलाभकारी व्यय तथा गाईड बंधों का अपूर्ण रहना'' (प्रस्तर–4.7) के रूप में वर्णित किया गया था। तत्पश्चात् 23 सितम्बर 2004 को लोक लेखा समिति में परिचर्चा भी की गयी थी। प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग के लोक लेखा समिति को दिए गए आश्वासन पर गठित एक जाँच समिति द्वारा क्षति के लिए उत्तरदायी लोक निर्माण विभाग के दो अधिशासी अभियंताओं को निलम्बित कर दिया गया था तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गयी थी। परन्तु, दिसम्बर 2012 तक ₹ 5.95 करोड़ के व्यय के बावजूद सेतु एक तरफ से बिना पहुँच मार्ग के हवा में अभी भी झूल रहा था तथा बारह वर्षों से अधिक समय से नदी सेतु के बाहर से बह रही थी।

इसको लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (मई 2010 एवं जून 2012) किए जाने पर अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खंड, लोक निर्माण विभाग, बलरामपुर ने अपने उत्तर में कहा कि (मई 2010) उच्चस्तरीय समिति के सुझाव आने वाले हैं तथा शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जाना है।

उत्तर पुष्टि करता है कि विभाग द्वारा सेतु को उपयोग में लाने एवं जनहित की सुरक्षा हेतु लोक लेखा समिति की चर्चा (सितम्बर 2004) एवं निर्देशों के आठ वर्ष पश्चात भी प्रभावी प्रयास नहीं किये गये थे। फलस्वरुप, राप्ती नदी जिस पर विगत वर्ष 2001 में सेतु का निर्माण हो जाना था, के दोनों ओर हरिहर और ललिया की जनता संपर्क मार्ग की सुविधा से मार्च 2013 तक वंचित थी।

चर्चा के मध्य (जनवरी 2013) शासन द्वारा तथ्यों, आँकड़ों एवं लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गयी आपत्तियों को स्वीकार किया गया।

प्रकरण शासन को जुलाई 2012 में सन्दर्भित किया गया; अनुस्मारकों के बावजूद उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013) था।